रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20072022-237400
CG-DL-E-20072022-237400

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 365] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 20, 2022/आषाढ़ 29, 1944
No. 365] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 20, 2022/ASHADHA 29, 1944

वास्तुकला परिषद्

(भारत सरकार का एक संवैधानिक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2021

वार्षिक प्रतिवेदन 2020–2021

फा. सं. सीए/55/2021/वार्षिक प्रतिवेदन.—वास्तुविद् अधिनियम 1972 के अधीन स्थापित वास्तुकला परिषद् को 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने वार्षिक प्रतिवेदन और खातों के लेखापरीक्षित विवरण प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

यह परिषद् भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत है और देश में वास्तुकला शिक्षा एवं पेशे के लिए नियामक निकाय है।

सांगठनिक संरचना:

वास्तुकला परिषद् के अध्यक्ष संगठन के प्रमुख हैं जिनके समग्र नेतृत्व में परिषद् कार्य करती है। वास्तुविद हबीब खान परिषद् के अध्यक्ष हैं। वास्तुकला परिषद् के रजिस्ट्रार परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।

संवैधानिक और अन्य समितियां:

अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के क्रम में केंद्र सरकार ने नियमावली बनाई है और परिषद् ने अपने कर्तव्यों व कार्यों के निर्वहन के लिए विनियमावली बनाकर विभिन्न समितियों का गठन किया है। कार्यकारी समिति परिषद् के कार्यकारी प्राधिकरण के रूप में कार्य करती है। अनुशासनात्मक समिति शिकायतों की जांच करती है और वास्तुविदों के विरुद्ध पेशेवर कदाचार संबंधी आरोपों की जांच करती है। परामर्शक समिति (अपील) उन आवेदनों की अपील सुनती है जिनके पंजीकरण आवेदन निरस्त कर दिए जाते हैं। इनके अतिरिक्त, विशेष/विशिष्ट प्रयोजनों के लिए समय–समय पर कई अन्य समितियां बनाई जाती हैं।

इसके अलावा, परिषद् ने वास्तुकला में स्नातक उपाधि व वास्तुकला में स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान करने के लिए नए संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों/आवेदनों की जांच के लिए प्राप्त संदर्भ का परीक्षण करने के लिए एक जांच समिति का भी गठन किया। परिषद् की 01.04.2020 से लेकर के 31.03.2021 तक की विभिन्न गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है:

1. बैठकें:

परिषद् की बैठकें:

प्रतिवेदन (रिपोर्ट) वाले वर्ष के दौरान परिषद् की दो बैठकें हुई थीं, अर्थात्, 26 जुलाई 2020 को 73वीं बैठक और 19 दिसंबर 2020 को 74वीं बैठक संपन्न हुई। कोविड 19 महामारी के कारण दोनों बैठकों का संचालन ऑनलाइन माध्यम से हुआ।

कार्यकारी समिति की बैठकें:

प्रतिवेदन (रिपोर्ट) वाले वर्ष में कार्यकारी समिति की 16 बैठकें हुई, जिनका विवरण निम्नानुसार है:

क्रमांक	बैठक संख्या	दिनांक	माध्यम
1.	211वीं बैठक	01 अप्रैल, 2020	ऑनलाइन
2.	212वीं बैठक	11 अप्रैल, 2020	ऑनलाइन
3.	213वीं बैठक	28 अप्रैल, 2020	ऑनलाइन
4.	214वीं बैठक	25 मई, 2020	ऑनलाइनृ
5.	215वीं बैठक	30 मई, 2020	ऑनलाइन
6.	216वीं बैठक	03 जून, 2020	ऑनलाइन
7.	217वीं बैठक	21 जून, 2020	ऑनलाइन
8.	218वीं बैठक	10 और 12 जुलाई, 2020	ऑनलाइन
9.	219वीं बैठक	02 अगस्त, 2020	ऑनलाइन
10.	220वीं बैठक	05 अगस्त, 2020	ऑनलाइन
11.	221वीं बैठक	23 अगस्त, 2020	ऑनलाइन
12.	222वीं बैठक	28 सितंबर, 2020	ऑनलाइन
13.	223वीं बैठक	15 अक्तूबर, 2020	ऑनलाइन
14.	224वीं बैठक	29 अक्तूबर, 2020	ऑनलाइन
15.	225वीं बैठक	12 नवंबर, 2020	ऑनलाइन
16.	226वीं बैठक	15 दिसंबर, 2020	ऑनलाइन

2. वास्तुविदों का पंजीकरण:

अधिनियम की धारा 25 के तहत परिषद् उस व्यक्ति को वास्तुविद् के रूप में पंजीकृत करती है जो भारत में निवास करता है या वास्तुकला का पेशा चलाता है और जिसके पास वास्तुकला की मान्यताप्राप्त योग्यता है। पंजीकरण आवेदन और शुल्क ऑनलाइन के साथ ही साथ ऑफलाइन माध्यम से भी जमा किए जा सकते हैं।

इस रिपोर्ट वाली अवधि के दौरान परिषद् ने 9531 योग्य व्यक्तियों को वास्तुविदों के रूप में पंजीकरण प्रदान किया है। इसके साथ ही 31 मार्च 2021 तक कुल 130475 वास्तुविदों को वास्तुविदों के रूप में पंजीकृत किया जा चुका है। 31 मार्च 2021 को 31.03.2021 के अनुसार वैध पंजीकरण धारक 108672 वास्तुविदों का राज्यवार विवरण निम्नानुसार है:

क्रमांक	राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के नाम	पंजीकृत वास्तुविद्
1.	अंडमान एवं निकोबार	39
2.	आंध्र प्रदेश	1620
3.	अरुणाचल प्रदेश	66
4.	असम	781
5.	बिहार	873
6.	चंडीगढ़	818

7.	छत्तीसगढ	944
8.	दादरा एवं नगर हवेली	22
9.	दमन एवं दीव	38
10.	दिल्ली	9839
11.	गोवा	796
12.	गुजरात	6737
13.	हरियाणा	4338
14.	हिमाचल प्रदेश	573
15.	जम्मू एवं कश्मीर	370
16.	झारखंड	549
17.	कर्नाटक	7935
18.	केरल	5778
19.	लद्दाख	04
20.	लक्षद्वीप	03
21.	मध्य प्रदेश	3024
22.	महाराष्ट्र	29994
23.	मणिपुर	128
24.	मेघालय	137
25.	मिजोरम	98
26.	नगालैंड	60
27.	ओडिशा	1127
28.	पुड्डूचेरी	243
29.	पंजाब	2104
30.	राजस्थान	2412
31.	सिक्किम	78
32.	तमिलनाडु	11820
33.	तेलंगाना	3941
34.	त्रिपुरा	45
35.	उत्तराखंड	896
36.	उत्तर प्रदेश	8026
37.	पश्चिम बंगाल	2414
38.	56 एपीओ	01
39.	99 एपीओ	01
कुल		**108672**

3. वास्तुविदों के पंजीकरण का नवीनीकरण:

रिपोर्ट वाली अवधि के दौरान परिषद् ने वार्षिक आधार पर 16150 वास्तुविदों के पंजीकरण का नवीनीकरण किया है, 6748 वास्तुविदों ने एकमुश्त नवीनीकरण कराया है और 5957 वास्तुविदों ने आवश्यक शुल्क का भुगतान कर अपना पंजीकरण बहाल कराया है।

4. अकादमिक सत्र 2020–2021 के लिए बी.आर्क. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता में छूट

पूरे भारत में कोविड–19 वैश्विक महामारी की स्थिति को देखते हुए देश के कई हिस्सों में 10+2 की परीक्षाएं आयोजित नहीं की जा सकीं और उम्मीदवार के पिछले प्रदर्शन के आधार पर परिणाम घोषित किए गए। इसलिए परिषद् ने केंद्र सरकार से अनुमोदन लेकर यह

निर्णय लिया कि 1983 विनियमावली में संशोधन कर 10+2 परीक्षा और पीसीएम विषयों में भी 50% अंक प्राप्त करने की आवश्यक शर्त में ढील दी जाए। 1983 विनियमावली में जो संशोधन किए गए हैं उन्हें भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग–।।।, खंड 4 में 06.08.2020 को प्रकाशित किया गया था।

5. वास्तुकला शिक्षा विनियमावली 2020 के न्यूनतम मानक के लिए वास्तुकला परिषद् का अनुमोदनः

वास्तुविद् अधिनियम 1972 की धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार परिषद् को यह शक्ति प्राप्त है कि वह वास्तुकला संस्थानों द्वारा मान्यताप्राप्त योग्यताएं प्रदान करने के लिए वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक निर्धारित करे। परिषद् ने इससे पहले वर्ष 1983 में केंद्र सरकार के अनुमोदन से वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानकों पर विनियमावली तैयार की थी।

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने 04.08.2020 को वास्तुकला परिषद् (वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियमावली 2020 को मंजूरी दे दी है। इसका शुभारंभ 11.08.2020 को माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल ने किया और 11.08.2020 को भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग–।।।, खंड 4 में भी इसका प्रकाशन किया गया था। यह विनियमावली 1 नवंबर 2020 से लागू है।

यह विनियमावली अन्य बातों के साथ–साथ अभिरुचि आधारित साख प्रणाली, वास्तुकला पेशे की वर्तमान आवश्यकताओं के लिए अधिक प्रासंगिक एक पाठ्यक्रम सामग्री, नवीनतम योग्यताएं और संकाय सदस्यों के लिए वेतनमानों का प्रावधान करती है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न प्रावधानों के अनुरूप है।

6. वास्तुविद् अधिनियम 1972 में संशोधन

वास्तुविद् अधिनियम 1972 को वर्ष 1972 में अधिनियमित किया गया था और वर्तमान समय की चुनौतियों से निपटने के लिए इसमें संशोधन की आवश्यकता है। इन व्यापक संशोधनों की आवश्यकता विशेष रूप से यह देखते हुए भी है कि मानव संसाधन विकास पर संसद की स्थायी समिति ने वास्तुविद् अधिनियम 1972 में व्यापक संशोधन लाने की सिफारिशें की हैं।

परिषद् ने समय–समय पर तैयार किए गए अपने प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों से समाविष्ट एक समिति का गठन किया है।

1. वास्तुविद अमोघ कुमार गुप्ता, संयोजक
2. वास्तुविद कपिल सेतिया, सदस्य
3. वास्तुविद माला मोहन, सदस्य
4. वास्तुविद पी. आर. मेहता, विशेष आमंत्रित सदस्य
5. वास्तुविद बलबीर वर्मा, विशेष आमंत्रित सदस्य

समिति की ओर से अंतिम रूप में निर्धारित और संस्तुत संशोधित प्रस्ताव पर पूर्ण परिषद् द्वारा अपनी 72वीं बैठक में विचार किया गया था और यह तय किया गया कि केंद्र सरकार द्वारा बनाई जा रही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के आलोक में उस पर पुनर्विचार किया जाए।

इसके अलावा वास्तुविद् अधिनियम 1972 में प्रस्तावित संशोधनों पर व्यापक विचार–विमर्श करने के लिए सभी हितधारकों के विचार और सुझाव प्राप्त करने हेतु मई 2020 में एक वेबिनार का आयोजन किया गया था। परिषद् ने संशोधन प्रस्ताव को अपनी वेबसाइट पर भी डाल दिया है ताकि सभी हितधारक इसे देख सकें और इस पर अपने विचार/सुझाव दे सकें। परिषद् को इस पर कई विचार/सुझाव प्राप्त हुए हैं। वास्तुविद माला मोहन की सदस्यता समाप्ति के बाद समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन किया गया हैः

1. वास्तुविद अमोघ कुमार गुप्ता, संयोजक
2. वास्तुविद कपिल सेतिया, सदस्य
3. वास्तुविद एन. के. नेगी, सदस्य
4. वास्तुविद माला मोहन, विशेष आमंत्रित सदस्य
5. वास्तुविद पी. आर. मेहता, विशेष आमंत्रित सदस्य
6. वास्तुविद बलबीर वर्मा, विशेष आमंत्रित सदस्य

हालांकि, मुकेश गोयल विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य के परिवाद में, दिनांकित 17 मार्च 2020 का निर्णय प्राप्त होने पर समिति ने यह संस्तुति की कि अधिनियम की धारा 37 में तत्काल संशोधनों की आवश्यकता है और तदनुसार धारा 37 में संशोधन का एक प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास प्रस्तुत किया गया है।

7. वास्तुविदों के विरुद्ध पेशेवर कदाचार की शिकायतेंः

सभी वास्तुविदों को वास्तुविद् (पेशेवर आचरण) विनियमावली 1989 के प्रावधानों को मानना और उनका पालन करना आवश्यक है। अधिनियम में एक ऐसे वास्तुविद् के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रावधान किया गया है, जिसकी जांच होने पर और संबंधित वास्तुविद को सुनवाई का अवसर प्राप्त होने के बाद, उसे पेशेवर कदाचार का दोषी पाया जाता है।

परिषद् ने 19.12.2020 को हुई अपनी 74वीं बैठक में वास्तुविदों के विरुद्ध कथित पेशेवर कदाचार की 17 शिकायतों पर विचार किया। परिषद् ने 2 शिकायतों को जांच के लिए अनुशासनात्मक समिति को भेजा और 12 शिकायतों को रद्द कर दिया। इसके अलावा, 3 शिकायतों को प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए वापस भेजा दिया गया।

रिपोर्ट वाले वर्ष के दौरान परिषद् को वास्तुविदों के विरुद्ध कथित पेशेवर कदाचार की 10 नई शिकायतें मिली हैं। परिषद् ने वास्तुविद् अधिनियम 1972 की धारा 30 के अनुसार सुनवाई का अवसर देने के बाद नई दिल्ली के वास्तुविद एम. डी. बुद्धिराजा को पेशेवर कदाचार का दोषी पाया और वास्तुविद् के रूप में उनके पंजीकरण को 6 माह की अवधि के लिए निलंबित कर दिया।

8. अनुशासनात्मक समितिः

वास्तुकला परिषद् की नियमावली 1973 के अनुसार, वास्तुविदों के विरुद्ध कथित पेशेवर कदाचार की प्राप्त शिकायतों के जो मामले परिषद की ओर से भेजे जाते हैं, उनकी जांच के लिए केंद्र सरकार समय–समय पर राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अनुशासनात्मक समिति का गठन करती है।

वास्तुविद नवनीत कुमार, एडीजी (आर्क.) सीपीडब्ल्यूडी की सदस्यता 07.01.2020 को समाप्त होने के फलस्वरूप केंद्र सरकार ने 28.10.2020 को अनुशासनात्मक समिति का पुनर्गठन किया और इसमें वास्तुविद महेंद्र प्रताप सिंह का नाम शामिल किया।

कोविड–19 वैश्विक महामारी की स्थिति के कारण अनुशासनात्मक समिति की एक बार 19.02.2021 को बैठक हुई और 4 शिकायतों को ऑनलाइन जांच के लिए हाथ में लिया गया।

इसके अलावा दिनांक 22.02.2021 को वास्तुविद एन. के. नेगी की सदस्यता समाप्त होने पर परिषद् ने दिनांक 05.03.2021 को वास्तुविद अमोघ कुमार गुप्ता का नाम अनुशासनात्मक समिति के एक सदस्य के रूप में प्रस्तावित करते हुए परिषद् के सदस्यों के अनुमोदन के लिए पत्रों के प्रसारण के माध्यम से भेजा। इसे आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के लिए दिनांक 20.04.2021 को केंद्र सरकार को भेजा गया था और केंद्र सरकार ने इसे 15.07.2021 को अधिसूचित किया।

9. विदेशी योग्यताओं की मान्यता पर समितिः

वास्तुविद् अधिनियम 1972 की धारा 15 के अनुसार, केंद्र सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह वास्तुविद् अधिनियम 1972 के प्रयोजनों के लिए वास्तुकला परिषद् की सलाह लेकर विदेशी वास्तुकला योग्यताओं को मान्यता दे सके।

परिषद् ने केंद्र सरकार से प्राप्त संदर्भों पर विचार करने और इस पर अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए एक समिति बनाई है। रिपोर्ट वाले वर्ष के दौरान समिति ने 5 बैठकें 12.10.2020, 19.10.2020, 04.01.2021, 08.02.2021 और 19.03.2021 को कीं और केंद्र सरकार से प्राप्त मामलों पर विचार कर अपनी रिपोर्ट पूर्ण परिषद् को सौंप दी।

केंद्र सरकार ने वास्तुकला परिषद् के साथ परामर्श करने के बाद वास्तुविद् अधिनियम 1972 के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित विदेशी वास्तुकला योग्यताओं को मान्यता प्राप्त घोषित करते हुए इन्हें 10.11.2020 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया:

क. येल विश्वविद्यालय, यूएसए की ओर से प्रदत्त वास्तुकला में बी.ए. (ऑनर्स) की उपाधि––कोलंबिया विश्वविद्यालय, यूएसए की ओर से दी जाने वाली वास्तुकला स्नातकोत्तर (एम.आर्क.) की उपाधि के साथ संयुक्त रूप से।

ख. ऑस्टिन स्थित टेक्सास विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, यूएसए द्वारा प्रदान की जाने वाली वास्तुकला स्नातक की उपाधि।

ग. वुडबरी विश्वविद्यालय, यूएसए की ओर से दी जाने वाली वास्तुकला स्नातक की उपाधि।

घ. न्यू यॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, न्यू यॉर्क, यूएसए द्वारा प्रदत्त वास्तुकला स्नातक की उपाधि।

ड. पोलितेक्निको दी मिलानो, इटली द्वारा प्रदान की जानेवाली वास्तुकला विज्ञान स्नातकोत्तर के साथ एकीकृत वास्तुकला विज्ञान स्नातक की उपाधि।

च. फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, अकुर, नाइजीरिया की ओर से प्रदत्त वास्तुकला प्रौद्योगिकी स्नातक (बी.टेक. आर्क) की उपाधि।

छ. मोरातुवा विश्वविद्यालय, श्रीलंका द्वारा प्रदान की जानेवाली निर्मित पर्यावरण विज्ञान (बिल्ट एनवायरनमेंट) स्नातक उपाधि के साथ की ली जाने वाली वास्तुकला विज्ञान स्नातकोत्तर की उपाधि।

ज. अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ शारजाह, यूएई द्वारा प्रदत्त वास्तुकला स्नातक की उपाधि।

10. दृष्टिकोण योजनाः

परिषद् ने देखा कि देशभर में वास्तुकला पाठ्यक्रमों की बढ़ती मांग के कारण वास्तुकला महाविद्यालय खोलने में वृद्धि हुई लेकिन समय के साथ देखा गया कि शिक्षा की समग्र गुणवत्ता का स्तर उतना नहीं उठा जितना होना चाहिए था। कई मुद्दों के अलावा, विभिन्न संस्थान जो हैं वे वास्तुकला शिक्षा के लिए परिषद् के न्यूनतम मानकों को कायम रखने में सक्षम नहीं हैं, जिसके फलस्वरूप मानकों में गिरावट आ गई। यह स्थिति तब और बिगड़ गई जब स्नातक उपाधि प्राप्त वास्तुविदों को रोजगार के निराशाजनक अवसर मिले और धीरे–धीरे एक धारा के रूप में वास्तुकला पाठ्यक्रम में प्रवेश कम होने लगे। पहली नजर में यह प्रतीत होता है कि किसी परिभाषित नीति के बिना वास्तुकला संस्थानों की अल्पावधि में हुई/होनेवाली तीव्र वृद्धि और रोड मैप का अभाव, इस खराबी का एक कारण हो सकता है।

परिषद् ने इस स्थिति से निपटने के लिए जेएनएएफएयू, हैदराबाद की कुलपति डॉ. कविता दरयानी राव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जिसमें बीकेपीएस पुणे के पूर्व प्राचार्य वास्तुविद पुष्कर कन्विंदे और पेशेवर वास्तुविद बंसन सिंह थांगकीव, मुख्य वास्तुविद्, मेघालय और वास्तुविद श्याम किशोर सिंह, पटना के पेशेवर वास्तुविद और परिषद् के पूर्व सदस्य इस समस्या के समाधान के लिए सदस्य के रूप में शामिल हैं।

कार्यकारी समिति ने 21 व 22 फरवरी 2020 को आयोजित अपनी 210वीं बैठक में दृष्टिकोण योजना को मंजूरी दी ताकि नए महाविद्यालयों को खोलने, अतिरिक्त प्रवेश की मंजूरी, प्रवेश की बहाली और नए अतिरिक्त पाठ्यक्रमों की स्वीकृति की प्रक्रिया को कारगर बनाया जा सके। इस दृष्टिकोण योजना को पूर्ण परिषद् ने 08.07.2020 को पत्रों के प्रसारण के माध्यम से अनुमोदित किया था।

समिति की रिपोर्ट के अनुसार यह नीति नए महाविद्यालयों को खोलने, अतिरिक्त प्रवेश की मंजूरी, प्रवेश की बहाली और नए अतिरिक्त पाठ्यक्रमों की स्वीकृति को कारगर बनाएगी। इस नीति को सभी संबंधित पक्षों की सूचना व अनुपालन के लिए परिषद् की वेबसाइट पर डाल दिया गया है।

11. वास्तुकला संस्थान बंद करने की नीतिः

कार्यकारी समिति ने 21 व 22 फरवरी 2020 को आयोजित अपनी 210वीं बैठक में वास्तुकला संस्थानों को बंद करने की नीति को मंजूरी दी ताकि संस्थानों को बंद करने की प्रक्रिया सुव्यवस्थित हो व छात्रों के हित सुरक्षित रखे जा सकें। इसकी पुष्टि 19 दिसंबर 2020 को आयोजित परिषद् की 74वीं बैठक में की गई। नीति निम्नानुसार हैः

- ❖ बंद होने के इच्छुक किसी वर्तमान संस्थान को अपने प्रवर्तक के माध्यम से आवश्यक दस्तावेजों सहित निर्धारित प्रारूप में परिषद् को आवेदन करते हुए 5,00,000/– रुपये के शुल्क का भुगतान करना होगा। यदि संस्थान ने परिषद में प्रतिभूति राशि जमा कराई हुई है तो इस राशि को प्रतिभूति राशि में से काटा जा सकता है और शेष राशि, यदि कोई हो, संस्था को लौटाई जा सकती है।

- ❖ परिषद् किसी संस्थान की क्रमिक बंदी के लिए विचार नहीं करेगी। संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर पूर्ण समापन के लिए विचार किया जाएगा और बी.आर्क. पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् छात्रों, यदि कोई हों, को राज्य के अंदर परिषद् द्वारा अनुमोदित अन्य संस्थानों में स्वीकृत प्रवेश संख्या के अंतर्गत सीटों की उपलब्ध रिक्ति के अनुसार उचित सेमेस्टर/स्तर के पाठ्यक्रम में स्थानांतरित किया जाएगा। बंद करने के लिए आवेदन करनेवाले ऐसे संस्थानों से स्थानांतरित छात्र–छात्रों के अगर पिछले सेमेस्टर के कोई लंबित पेपर/बैकलॉग हैं तो उन्हें प्रवेश देने वाले संस्थानों/विश्वविद्यालयों को परीक्षा, कक्षाएं इत्यादि आयोजित करने की जरूरत हो सकती है।

- ❖ संस्थानों को बंद करने के लिए किए जानेवाले आवेदनों का अनुमोदन परिषद् द्वारा किया जाएगा, जो संस्थान द्वारा निम्नलिखित प्रलेखों को जमा करने के अधीन होगाः

  i. संस्थान में पढ़ाए जा रहे बी.आर्क. पाठ्यक्रम का विवरण इस पाठ्यक्रम के शुरू होने से लेकर संस्थान से वर्षवार छात्रों की प्रवेश/उत्तीर्ण संख्या (यदि कोई हो) के साथ प्रदान किया जा रहा है।

  ii. बी.आर्क. पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् वर्तमान छात्रों (यदि कोई हो) की वर्ष–वार सूची जिसमें नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, परिषद् द्वारा जारी नामांकन संख्या, एनएटीए/अभिक्षमता परीक्षा के अंक/अनुक्रमांक के साथ श्रेणी, पाठ्यक्रम के वर्ष/सेमेस्टर, पिछले एटीकेटी विषय एवं एएमपी; उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण की स्थिति, इत्यादि जानकारी सम्मिलित होगी।

  iii. संस्थान बंद करने के पीछे के कारण।

  iv. संबंधित विश्वविद्यालय और संबंधित राज्य/केंद्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी की अनुमति/अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी)।

  v. वर्तमान में बी.आर्क. में अध्ययनरत् छात्रों, यदि कोई हों, की सहमति/अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) ली जा चुकी हो।

  vi. संस्थान के सक्षम प्राधिकारी से यह प्रमाणपत्र लेना कि छात्रों से संबंधित कोई भी मामला संस्थान में लंबित नहीं है।

  vii. संस्थान के सक्षम प्राधिकारी से यह प्रमाण पत्र लेना कि बी.आर्क. छात्रों को उनकी पिछली परीक्षाओं के लिए सभी अंकपत्र जारी किए जा चुके हैं।

  viii. संस्थान के सक्षम प्राधिकारी से यह वचन–बंध लेना कि संस्थान बंद करने के आवेदन को परिषद् से अनुमोदित किए जाने के बाद छात्रों के सभी मूल प्रमाणपत्र उन्हें लौटा दिए जाएंगे।

  ix. संकाय, गैर–शिक्षण कर्मचारियों के वेतन और अन्य भत्तों/देयराशियों के भुगतान बाकी न होने के प्रमाणपत्र।

  x. यह प्रमाणपत्र देना कि संस्थान के विरुद्ध बी.आर्क. पाठ्यक्रम के संचालन से संबंधित कोई अदालती मामला दायर/लंबित नहीं है और संस्थान के विरुद्ध कोई आरोपपत्र दायर नहीं किया गया है।

- ❖ यदि संस्थान ने परिषद् से अनुमोदन के बाद बी.आर्क. पाठ्यक्रम शुरू नहीं किया है और किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं दिया है तो संस्थान से केवल वही संबंधित दस्तावेज जमा कराए जाएंगे जो लागू होंगे।

12. वास्तुकला अभ्यास की नियम–पुस्तिका बनाने की तैयारीः

परिषद् ने वास्तुकला कार्य अभ्यास की नियम–पुस्तिका बनाने/तैयार करने के लिए एक समिति बनाई है, जिसमें वास्तुविद जे. मनोहरन संयोजक के रूप में, वास्तुविद पी. वैतियानादीन सदस्य के रूप में, वास्तुविद एन. महेश सदस्य के रूप में, वास्तुविद विजय उप्पल सदस्य के रूप में, वास्तुविद प्रकाश सुतारिया सदस्य के रूप में, वास्तुविद संदीप शिर्क सदस्य के रूप में और वास्तुविद सलिल सणदिवे सदस्य के रूप में सम्मिलित हैं।

नियम–पुस्तिका में पांच खंड होंगे, नामतः खंड 1– वास्तुकला अभ्यास के लिए दिशानिर्देश, खंड 2– वास्तुविदों को कार्यव्यस्त करने के लिए दिशानिर्देश और वास्तुकला प्रतिस्पर्धाओं के लिए संहिता, खंड 3– वास्तुकला अनुबंधों के लिए दिशानिर्देश, खंड 4– वास्तुकला सेवाओं एवं शुल्कों के लिए दिशानिर्देश और खंड 5– फर्मों के प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश। इसके अलावा, यह निर्णय भी लिया गया है कि राजकीय सेवा में वास्तुविदों की भूमिका को खंड 6 के रूप में बनाया जाए। नियम–पुस्तिका बनाने की तैयारी अंतिम चरणों में है।

13. आर्थिक रूप में कमजोर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाः

वास्तुकला परिषद् (सीओए) को यह अधिकार दिया गया है कि वह देश में वास्तुकला शिक्षा के मानकों को निर्धारित और विनियमित करेगी ताकि ऐसे सभी कदम उठाए जा सकें जो अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं। सीओए अपनी ओर से अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कई कदम उठा रही है। देश में उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के उदारीकरण के साथ ही वास्तुकला शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान बड़ी संख्या में चालू किए गए हैं। इनमें से अधिसंख्य संस्थान निजी क्षेत्र में खोले गए हैं।

वास्तुकला शिक्षा के कार्यक्षेत्र में निजी क्षेत्र के बड़े स्तर पर प्रवेश के साथ ही वास्तुकला शिक्षा प्रदान करने की लागत काफी बढ़ गई है। इसने शिक्षा की लागत को बड़ी संख्या में ऐसे महत्वाकांक्षी और योग्य छात्रों को वास्तुकला शिक्षा की पहुंच से बाहर कर दिया है जो वास्तुकला को अपने करिअर व पेशे के रूप में अपनाना चाहते हैं, किंतु वे वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की कमी के कारण ऐसा करने में असमर्थ हैं। प्रतिभाशाली महत्वाकांक्षी विद्यार्थियों का इस प्रकार शिक्षा के अवसरों से वंचित होकर बाहर होने से इस पेशे पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि एक तो इससे हम गुणवत्तापूर्ण/भावी प्रतिभाशाली पेशेवरों को खो बैठेंगे और साथ ही इससे शिक्षा देने की सार्थकता भी नहीं रहेगी।

वास्तुकला पेशे के क्षेत्र में ऐसे महत्वाकांक्षी, प्रतिभाशाली और योग्य उम्मीदवारों, जो शिक्षण शुल्क इत्यादि का भुगतान करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं जुटा पा रहे हैं, को आकर्षित करने के लिए यह प्रस्ताव है कि ऐसे जरूरतमंद, योग्य और प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाए ताकि वे वास्तुकला को करिअर के रूप में आगे बढ़ाने के लिए वास्तुकला शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों में प्रवेश लेकर अपनी शिक्षा जारी रख सकें।

14. ज्ञान भारती परिसर, बैंगलौर में बैंगलौर विश्वविद्यालय परिसर के भीतर कर्नाटक सरकार द्वारा भूमि आबंटन

परिषद् ने बैंगलोर में अपने प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना करने के लिए बैंगलोर विश्वविद्यालय से 2 एकड़ भूमि आबंटित करने का अनुरोध किया था। बैंगलोर विश्वविद्यालय ने परिषद् के अनुरोध की संस्तुति कर्नाटक सरकार से की। कर्नाटक सरकार ने परिषद् के पक्ष में 2 एकड़ भूमि 30 साल की अवधि के लिए 2 लाख रुपए सालाना लीज रेंट पर आबंटित की है।

बैंगलौर विश्वविद्यालय से आग्रह किया गया है कि वह उक्त भूमि पर कब्जा लेने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में परिषद् को सूचित करे।

15. आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना जारी करना

श्री दीपक कुमार, प्रशासनिक अधिकारी परिषद में जन सूचना अधिकारी हैं और श्री राज कुमार ओबराय, जो रजिस्ट्रार हैं वे आरटीआई अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार परिषद् में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी हैं। प्रतिवेदनाधीन अवधि के दौरान परिषद् ने 98 आरटीआई आवेदनों के संदर्भ में सूचना उपलब्ध कराई और आटीआई अधिनियम के अनुसार 2 प्रथम अपीलों पर कार्यवाही की। परिषद् ने आरटीआई आवेदनों और इनके परिणामस्वरूप की जानेवाली अपीलों की संख्या घटाने के लिए सार्वजनिक ज्ञानक्षेत्र अर्थात् डोमेन में अधिकतम जानकारी प्रकट करने के प्रयास किए हैं।

16. अकादमिक सत्र 2019–2020 में नवीन संस्थानों का अनुमोदन

प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान 7 नवीन संस्थानों को वास्तुकला पाठ्यक्रम स्नातक उपाधि प्रदान करने के लिए अनुमोदन स्वीकृत किया गया था और 13 विद्यमान संस्थानों को पीजी पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए अनुमोदन स्वीकृत किया गया था।

वर्तमान में यहां 469 ऐसे संस्थान हैं जो परिषद् के अनुमोदन पर अकादमिक सत्र 2020–2021 के दौरान मान्यताप्राप्त वास्तुकला संबंधी योग्यताएं प्रदान कर रहे हैं। संस्थानों की राज्यवार संख्या निम्नानुसार सूचीबद्ध हैः

क्र.सं.	राज्य	विद्यालयों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	9
2.	असम	2
3.	बिहार	2
4.	छत्तीसगढ़	4
5.	चण्डीगढ़	1
6.	दिल्ली	6
7.	गोवा	1

8.	गुजरात	34
9.	हिमाचल प्रदेश	3
10.	हरियाणा	25
11.	झारखण्ड	2
12.	जम्मू एण्ड कश्मीर	4
13.	कर्नाटक	43
14.	केरल	36
15.	महाराष्ट्र	103
16.	मेघालय	1
17.	मध्य प्रदेश	16
18.	मिजोरम	1
19.	उड़ीसा	9
20.	पंजाब	14
21.	पुड्डुचेरी	1
22.	राजस्थान	14
23.	तमिल नाडु	76
24.	तेलंगाना	14
25.	उत्तराखण्ड	5
26.	उत्तर प्रदेश	35
27.	पश्चिम बंगाल	8
	कुल	469

17. अकादमिक सत्र 2020–2021 हेतु वास्तुकला संस्थानों का अनुमोदन :

वास्तुकला परिषद् को वास्तुकला संस्थानों द्वारा मान्यताप्राप्त योग्यताएं प्रदान करने के लिए परिषद् द्वारा निर्धारितानुसार न्यूनतम मानकों की निगरानी करनी पडती है।

अकादमिक सत्र 2020–2021 के दौरान परिषद् ने निम्नानुसार वास्तुकला संस्थानों का अनुमोदन किया:

क) बी.आर्क. पाठ्यक्रम के लिए अनुमोदन का विस्तार : 381

ख) एम.आर्क. पाठ्यक्रम के लिए अनुमोदन का विस्तार : 66 (84 पाठ्यक्रम)

ग) बी.आर्क. पाठ्यक्रम का परिचय : 07

घ) एम.आर्क. पाठ्यक्रम का परिचय : 13

ड.) बी.आर्क. पाठ्यक्रम के लिए शून्य प्रवेश वाले संस्थान : 6

च) एम.आर्क. पाठ्यक्रम के लिए शून्य प्रवेश वाले संस्थान : 1

छ) 'अनुमोदन वापसी' वाले संस्थान : **शून्य**

उपरोक्त के साथ, वर्तमान में अकादमिक सत्र 2020–21 के दौरान लगभग 388 वास्तुकला संस्थानों को परास्नातक (यूजी) पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए तथा 77 संस्थानों को वास्तुकला स्नातकोत्तर (मास्टर) उपाधि पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

18. बी.आर्क. पाठ्यक्रम में वास्तुकला संस्थानों के माध्यम से प्रवेश लेनेवाले छात्रों को नामांकन संख्याएं जारी करना:

परिषद् जो है वह संस्थानों के माध्यम से प्रवेश पानेवाले छात्रों को नामांकन संख्याएं यह सुनिश्चित करने के लिए जारी कर रही है ताकि परिषद् की स्वीकृति के प्रवेशानुसार केवल योग्य छात्रों का प्रवेश किया जा सके। परिषद् जो है वह संस्थानों द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर ऑनलाइन माध्यम से नामांकन संख्याएं जारी कर रही है।

विगत 5–वर्षों में बी.आर्क. पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए परिषद् द्वारा जारी की गई नामांकन संख्याओं के वर्षवार विवरण निम्नानुसार हैं:

टकादमिक सत्र	नामांकन के लिए आवेदन कर चुके संस्थानों की संख्या	नमांकित छात्र
2016-2017	399	18800
2017-2018	395	15737
2018-2019	420	17951
2019-2020	411	15514
2020-2021	395	14982

इसके आगे, बी.आर्क. पाठ्यक्रम में छात्रों के लिंगवार विवरण निम्नानुसार हैं:

अकादमिक सत्र	छात्र	छात्राएं	ट्रांसजेंडर	कुल
2020-2021	6952	8029	1	14982
2019-2020	7387	8126	1	15514
2018-2019	8423	9528	0	17951
2017-2018	7086	8650	1	15737
2016-2017	8901	9898	1	18800

19. वास्तुकला में राष्ट्रीय अभिक्षमता परीक्षा (नाटा):

परिषद् 5–वर्षीय बी.आर्क. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु एक एकल खिड़की परीक्षा के रूप में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय वास्तुकला अभिक्षमता परीक्षा (नाटा) का संचालन कर रही है। इसी क्रम में नाटा 2020 का संचालन दो बार किया गया था।

परीक्षा का संचालन ऑनलाइन विधि द्वारा एक वर्ष में दो बार किया जाता है। प्रथम परीक्षा का आयोजन 29 अगस्त 2020 को किया गया था और द्वितीय परीक्षा का संचालन 12 सितंबर 2020 को किया गया था। कोविड–19 की अनवरत् चल रही महामारी को ध्यान में रखकर छात्रों को यह विकल्प दिया गया था कि या तो वे घर से ही ऑनलाइन विधि द्वारा, अथवा परीक्षा–केंद्रों पर, परीक्षा में उपस्थित हों।

दिनांक 29.08.2020 को आयोजित प्रथम परीक्षा के लिए 30253 अभ्यर्थी पंजीकृत हुए थे। इसमें से 22556 परीक्षार्थी परीक्षा में उपस्थित हुए और 20882 परीक्षार्थी प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। इसके अतिरिक्त, 12.09.2020 को आयोजित द्वितीय परीक्षा के लिए 29158 छात्र पंजीकृत हुए थे। इसमें से 20631 परीक्षार्थी परीक्षा में उपस्थित हुए और 19865 परीक्षार्थियों ने 12.09.2020 को आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण की।

20. प्रशिक्षण कार्यक्रम:

संकाय सदस्यों, विद्यार्थियों और विषय–विशेषज्ञों का ज्ञान एवं विभिन्न कौशल बढ़ाने/उनका अद्यतन और उन्नयन करने के क्रम में परिषद् जो है वह प्रत्येक वर्ष, पुणे एवं भोपाल में स्थित अपने प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन कर रही है। संपूर्ण भारत में कोविड–19 की अनवरत् चल रही महामारी के कारण, परिषद् ने ऑनलाइन माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन का निर्णय लिया है।

टीआरसी (प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र) पुणे में आयोजित कार्यक्रम के विवरण निम्नानुसार हैं:

क. वास्तुकला एवं विषय–विशेषज्ञ में अध्यापकों हेतु ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम:

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	समन्वयक का नाम	तिथियां	भागीदारों की संख्या
1.	भारतीय वास्तुकला इतिहास का अध्यापन	डा. वैशाली लटकर	11 से 15 मई 2020	1782
2.	अध्यापन के लिए शिक्षण और शिक्षण के लिए अध्यापन: वास्तुकला ऑनलाइन	प्राध्यापिका जयाश्री देशपाण्डेय	26 से 30 मई 2020	1562
3.	उन्नत भवन– निर्माणन सेवाएं	डा. रामा आर. सुब्रह्मण्यम	02, 03, 06 और 07 जुलाई 2020	2261
4.	वास्तुकला शिक्षा–विज्ञान में विभिन्न कौशल का प्रबुद्ध समावेशन: समय की आवश्यकता	डा. गौरी शिउरकर	15, 16, 17, 20, 21 जुलाई 2020	793
5.	अध्यापन वातावरण प्रतिक्रियाशील अभिकल्प (डिजाइन) दृष्टिकोण	प्राध्यापक अभय पुरोहित	28 सितंबर से 02 अक्टूबर 2020	69

ख. वास्तुकला एवं विषय–विशेषज्ञ में अध्यापकों हेतु ऑनलाइन वेबिनार:

क्र.सं.	कार्यशालाओं का नाम	समन्वयक का नाम	तिथियां	कुल प्राप्त पंजीकरण
1.	नव स्थिति में समायोजन करना: कठिन समय में अनुकूलता	श्रीमती विभा देशपाण्डेय	20 नवंबर 2020	95

ग. वास्तुकला के छात्रों हेतु ऑनलाइन वेबिनार:

क्र.सं.	कार्यशालाओं का नाम	समन्वयक का नाम	तिथियां	कुल प्राप्त पंजीकरण
1.	केवल मुझे कुछ स्थान दें	वास्तुविद सुहा रियाज खोपटकर	22 मई 2020	824

2.	केवल मुझे कुछ स्थान दो	वास्तुविद सुहा रियाज खोपटकर	24 जुलाई 2020	127
3.	नव स्थिति में समायोजन करना: कठिन समय में अनुकूलता	श्रीमती विभा देशपाण्डेय	20 नवंबर 2020	740

प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र (टीआरसी) भोपाल द्वारा संचालित कार्यक्रम के विवरण निम्नानुसार हैं:

आयोजन		शीर्षक	तिथि	उपस्थित व्यक्ति
1	वेबिनार	एनईपी 2020 तथा वास्तुकला एवं नियोजन में पारंपरिक ज्ञान: अवसर एवं चुनौतियां	28 अक्टूबर 2020 को 4 बजे–5 बजे	181
1	आयोजन	वास्तुकला में पारंपरिक ज्ञान के स्थान–समय का सत्य: भारत पर एक कथा	28 नवंबर 2020 को 4 बजे–5 बजे	118

21. राष्ट्रीय पुरस्कार कार्यक्रम:

1. परास्नातक (यूजी) एवं स्नातकोत्तर (पीजी) शोध–निबंध एवं वास्तुकला विरासत में शोध–निबंध (थीसिस) पुरस्कार

वास्तुकला परिषद् परास्नातक (2006 से) तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (2015 से) हेतु "वास्तुकला शोध–निबंध में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार" का आयोजन कर रही है ताकि वास्तुकला में अपने पाठ्यक्रम का अनुसरण कर रहे छात्रों को उनके अकादमिक उद्यम में उत्कृष्टता प्राप्त करने को प्रेरित किया जा सके।

सन् 2018 में परिषद् ने एक नवीन पुरस्कार की संस्थापना की। इसका नाम है "वास्तुकला विरासत के प्रलेखीकरण में उत्कृष्टता के लिए सीओए पुरस्कार"। इस पुरस्कार को प्रारंभ करने का उद्देश्य यह था कि भारत की समृद्ध वास्तुकला विरासत के प्रति संवेदनशीलता एवं जागरूकता विकसित व संवर्द्धित करने के लिए विरासतमूलक भवनों को समझने, उनका प्रलेखीकरण करने के लिए देशभर में वास्तुकला के छात्रों के बीच अभिरुचि एवं योग्यता का प्रोत्साहन किया जाए।

पुरस्कार कार्यक्रमों का शुभारंभ दिसंबर 2020 में ऑनलाइन माध्यम से किया गया था, लेकिन तब ही से महामारी के कारण संपूर्ण देश में होनेवाली परीक्षाओं में विलंब हो गया था। प्रविष्टियों के ऑनलाइन लघुसूचीकरण और ऑनलाइन क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय निर्णायक–मंडल के संचालन के पश्चात् पुरस्कार घोषणा कार्य का संचालन ऑनलाइन माध्यम से 02 मई 2021 को किया गया और इसका सजीव प्रसारण हुआ। इस प्रसारण को परिषद् के माननीय सदस्यों, प्रतिष्ठित वास्तुविदों, निर्णायक–मंडल के सदस्यों, विषय–विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, अध्यापकों और देशभर में वास्तुकला के जितने भी छात्र–छात्राएं हैं, उन सहित, अन्यान्य लोगों ने बड़ी संख्या में देखा।

निर्णायक–मंडल के सदस्य निम्नानुसार थे:

- वास्तुकला 2020 में स्नातकोत्तर शोध–निबंध में उत्कृष्टता हेतु सीओए राष्ट्रीय पुरस्कार: वास्तुविद एस के दास, वास्तुविद सत्य प्रकाश वाराणसी और वास्तुविद यतिन पण्डया
- वास्तुकला शोध–निबंध 2020 में उत्कृष्टता हेतु सीओए राष्ट्रीय पुरस्कार तथा जेके एवाईए वर्ष का सर्वोत्तम वास्तुकला छात्र पुरस्कार: वास्तुविद बिजोय रामचंद्रन, वास्तुविद संजीव विद्यार्थी और वास्तुविद श्रीवथसन ए
- वास्तुकला विरासत 2020 के प्रलेखीकरण में उत्कृष्टता हेतु सीओए विद्यार्थी पुरस्कार: वास्तुविद ऐश्वर्य टिपणिस, वास्तुविद गुरमीत राय तथा वास्तुविद मूर्ति एसवी

पुरस्कार समिति में प्राध्यापक अनिरुद्ध पॉल एवं डा. रामा सुब्रह्मण्यम सम्मिलित हैं।

पुरस्कारों के विवरण निम्नानुसार हैं:

1. वास्तुकला शोध–निबंध में उत्कृष्टता हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार तथा जेके एवाईए वर्ष का सर्वोत्तम वास्तुकला छात्र पुरस्कार: (रु. 75,000/– प्रत्येक विजेता को तथा रु. 20,000/– प्रत्येक उप–विजेता को) + (रु. 25,000/– की राशि जेके एवाईए पुरस्कार के विजेता जे.के. सीमेंट लि. द्वारा दिए जाएंगे)
2. वास्तुकला में स्नातकोत्तर शोध–निबंध में उत्कृष्टता हेतु सीओए राष्ट्रीय पुरस्कार (रु. 75,000/– प्रत्येक विजेता को तथा रु. 20,000/– प्रत्येक उप–विजेता को)
3. वास्तुकला विरासत के प्रलेखीकरण में उत्कृष्टता हेतु सीओए विद्यार्थी पुरस्कार (तीन श्रेणियां यथा वास्तुकला विरासत, कला एवं शिल्प तथा स्वदेशी आवासन) (रु. 75,000/– प्रत्येक श्रेणी के विजेता को तथा रु. 15,000/– प्रत्येक श्रेणी के दो प्रशंसोल्लेखित विजेताओं को)

1. वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय निबंध लेखन प्रतियोगिता (वास्तुकला के एवं युवा वास्तुविद छात्रों के लिए)

सीओए वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय निबंध लेखन प्रतियोगिता (वास्तुकला के एवं युवा वास्तुविद छात्रों के लिए) का शुभारंभ मई 2020 में हुआ था। प्रतियोगिता का प्रारंभ, वास्तुकला में अनुसंधान की संस्कृति के संवर्द्धन और राष्ट्र निर्माण की एक संस्कृति के संवर्द्धन में भावी एवं युवा वास्तुविदों की ऊर्जा, रचनात्मकता व दृष्टिकोण को कार्यव्यस्त करने के लिए किया गया था।

प्रतियोगिता के लिए प्राप्त प्रविष्टियों का मूल्यांकन वास्तुकला अभ्यास एवं शिक्षा के प्रतिष्ठित वास्तुविदों से युक्त निर्णायक–मंडल के एक पैनल द्वारा ऑनलाइन माध्यम से किया गया था। अंतिम चरण के मूल्यांकन हेतु निर्धारित निर्णायक–मंडल में सम्मिलित थेः वास्तुविद जैमिनी मेहता, वास्तुविद माधव जोशी, वास्तुविद नीलकंठ छाया, वास्तुविद राहुल मेहरोत्रा, वास्तुविद शिरीष बेरी और वास्तुविद श्रीवत्सन ए।

पुरस्कार घोषणा समारोह का संचालन ऑनलाइन माध्यम से 15 अगस्त 2020 को किया गया था और इसका सजीव प्रसारण हुआ। इस प्रसारण को सीओए के माननीय पूर्व अध्यक्षों, परिषद् के माननीय सदस्यों, प्रतिष्ठित वास्तुविदों, निर्णायक–मंडल के सदस्यों, विषय–विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, अध्यापकों और देशभर में वास्तुकला के जितने भी छात्र–छात्राएं हैं, उन सहित, अन्यान्य लोगों ने बडी संख्या में देखा।

पुरस्कारों के विवरण निम्नानुसार थेः

प्रथम पुरस्कारः एक (1), प्रमाणपत्र + रु. 25,000/– का नकद पुरस्कार + सीओए सोशल पर साक्षात्कार/वीडियो क्लिप

द्वितीय पुरस्कारः एक (1), प्रमाणपत्र + रु. 15,000/– का नकद पुरस्कार + सीओए सोशल पर साक्षात्कार/वीडियो क्लिप

तृतीय पुरस्कारः एक (1), प्रमाणपत्र + रु. 10,000/– का नकद पुरस्कार + सीओए सोशल पर साक्षात्कार/वीडियो क्लिप

विशेष उल्लेखः पांच (5), प्रमाणपत्र + सीओए सोशल पर साक्षात्कार/वीडियो क्लिप

1. सीओए वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय निबंध लेखन प्रतियोगिता का संचालन (वास्तुकला विद्यालयों के अध्यापकों के लिए)

सीओए वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय निबंध लेखन प्रतियोगिता 2020 (वास्तुकला विद्यालयों के अध्यापकों के लिए) का शुभारंभ दिसंबर 2020 में किया गया था। प्रतियोगिता का प्रारंभ, वास्तुकला में अनुसंधान का संवर्द्धन करने, वास्तुकला शिक्षा के बारे में जागरूकता का समर्थन करने और साथ ही साथ वास्तुकला शिक्षा एवं व्यवसाय से संबंधित विभिन्न विषयों पर नवीन विचार व प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए किया गया था।

प्रतियोगिता के लिए प्राप्त प्रविष्टियों का मूल्यांकन वास्तुकला अभ्यास एवं शिक्षा के प्रतिष्ठित वास्तुविदों से युक्त निर्णायक–मंडल के एक पैनल द्वारा ऑनलाइन माध्यम से किया गया था। अंतिम चरण के मूल्यांकन हेतु निर्धारित निर्णायक–मंडल में सम्मिलित थेः वास्तुविद मनीषा शोधन बासु, वास्तुविद नीलकंठ छाया और वास्तुविद शशि भूषण।

पुरस्कार घोषणा समारोह का संचालन ऑनलाइन माध्यम से 2 मई 2021 को किया गया था और इसका सजीव प्रसारण हुआ। इस प्रसारण को सीओए के माननीय पूर्व अध्यक्षों, परिषद् के माननीय सदस्यों, प्रतिष्ठित वास्तुविदों, निर्णायक–मंडल के सदस्यों, विषय–विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, अध्यापकों और देशभर में वास्तुकला के जितने भी छात्र–छात्राएं हैं, उन सहित, अन्यान्य लोगों ने बडी संख्या में देखा।

पुरस्कारों के विवरण निम्नानुसार थेः

प्रथम पुरस्कारः एक (1), प्रमाणपत्र + रु. 50,000/– का नकद पुरस्कार + सीओए सोशल पर साक्षात्कार/वीडियो क्लिप

द्वितीय पुरस्कारः एक (1), प्रमाणपत्र + रु. 35,000/– का नकद पुरस्कार + सीओए सोशल पर साक्षात्कार/वीडियो क्लिप

तृतीय पुरस्कारः एक (1), प्रमाणपत्र + रु. 20,000/– का नकद पुरस्कार + सीओए सोशल पर साक्षात्कार/वीडियो क्लिप

विशेष उल्लेखः दो (2), प्रमाणपत्र + सीओए सोशल पर साक्षात्कार/वीडियो क्लिप

सीओए वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय निबंध लेखन प्रतियोगिता (वास्तुकला विद्यालयों के अध्यापकों के लिए, श्रेणी) का शुभारंभ अगस्त 2021 में किया गया है और इसके लिए प्रविष्टियां प्राप्त की जा रही हैं। इस विषय को परिषद् के सदस्यों की जानकारी हेतु प्रस्तुत किया गया है।

22. कोविड 19 महामारी राहत कार्य हेतु प्रधानमंत्री राहत कोष में योगदान तथा संस्थानों/जनसाधारण से प्राप्त दान

कोविड 19 महामारी से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों में योगदान करने के क्रम में, परिषद् ने कोविड–19 महामारी की अवधि में प्रधानमंत्री राहत कोष में योगदान करने के लिए वास्तुविदों, वास्तुकला संस्थानों और जनसाधारण से दान मांगने का निर्णय लिया था। परिषद् को योगदान के रूप में संस्थानों, वास्तुविदों एवं परिषद् के कर्मचारियों से रु. 3,79,334/– की एक धनराशि प्राप्त हुई तथा सीओए के कोष से रु. 21,20,666/– की धनराशि जोडने के पश्चात् रु. 25 लाख की एक धनराशि अंततः पीएम राहत कोष में योगदान के रूप में जमा करवा दी गई।

23. परिषद की वेबसाइट पर गैर–वास्तुविदों के विरुद्ध ऑनलाइन शिकायत पत्र का आयोजन

परिषद् ने गैर–वास्तुविदों द्वारा वास्तुविद अधिनियम 1972 के उल्लंघन के विरुद्ध ऑनलाइन/ऑफलाइन शिकायतें करने के लिए अपनी वेबसाइट पर शिकायत प्रपत्र की व्यवस्था की है। परिषद् को 26.05.2020 से लेकर के 30.11.2020 तक की समयावधि में अपंजीकृत

व्यक्तियों/झोलाछाप व्यक्तियों के विरुद्ध ऑनलाइन माध्यम से 246 शिकायतें प्राप्त हुईं और इन शिकायतों पर समुचित कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। परिषद् ने समस्त संबंधितों की जानकारी हेतु अपनी वेबसाइट पर ऐसी समस्त शिकायतों/की गई कार्रवाई का एक विवरण भी अपलोड किया है।

24. परिषद् में ऑनलाइन लोक शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित करना:

परिषद् ने वास्तुविदों, वास्तुकला संस्थानों, संकाय, विद्यार्थियों, जन सामान्य और अन्य हितग्राहियों की ऑनलाइन शिकायतें प्राप्त करने, ऐसी शिकायतों का त्वरित निदान करने तथा ऐसी शिकायतों की प्रतिक्रिया में हुई निदानमूलक प्रगति की निगरानी करने के लिए एक ऑनलाइन लोक शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित किया है। यह परिषद् के कार्यालय द्वारा प्राप्त किए गए अनुरोधों के कारगर निपटान को बढाएगा।

25. परिषद् द्वारा वास्तुविदों से लिए जा रहे शुल्क में वृद्धि:

परिषद् ने 24 एवं 25 जनवरी 2020 को आयोजित की गई अपनी 72वीं बैठक में शुल्क संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया, जिसे वास्तुविदों से लिए जा रहे शुल्क में वृद्धि करने के उद्देश्य से वास्तुकला परिषद् नियमावली 1973 में उपयुक्त संशोधन करने के लिए 18 नवंबर 2020 को शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पास प्रस्तुत किया गया था। इस विषय पर मंत्रालय का निर्णय प्रतीक्षाधीन है।

26. पेशेवर पहुंच कार्यक्रम:

वास्तुकला, वास्तुविद अधिनियम 1972, नियमावली एवं विनियमावली के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, और वास्तुविदों की चिंताएं समाप्त करने के लिए परिषद् ने पेशेवर पहुंच कार्यक्रम संचालन का निर्णय लिया है। हालांकि, कोविड 19 महामारी और संपूर्ण भारत में लॉकडाउन प्रतिबंधों के कारण, पहुंच कार्यक्रम का संचालन नहीं किया जा सका। हालांकि, परिषद् ने वास्तुविदों से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूकता फैलाने के लिए ''सीओएसोशल'' नामक ऑनलाइन वेबपोर्टल प्रारंभ किया है।

27. सरकारी विभाग/उपक्रमों द्वारा वास्तुविदों का चयन:

परिषद् ने अनेक सार्वजनिक प्राधिकरणों/प्राधिकारियों को लिखकर सूचित किया है कि वे वास्तुकला परिषद् के प्रतिस्पर्द्धा दिशानिर्देशों के अनुसार तथा परिषद् द्वारा निर्धारितानुसार शुल्क के भुगतान पर वास्तुविद नियुक्त करें। सीओए के अध्यक्ष ने परिषद् द्वारा निर्धारित वास्तुकला प्रतिस्पर्द्धा दिशानिर्देश अपनाने पर विचार करने के लिए शहरी विकास सचिव, भारत सरकार से भेंट की।

28. वास्तुविद अधिनियम 1972 का प्रवर्तन:

वास्तुविद अधिनियम 1972 की धाराद्वय 36 एवं 37, एक वास्तुविद के रूप में मिथ्या प्रस्तुतिकरण और एक पंजीकृत वास्तुविद के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वास्तुविदों के नाम एवं शैली का उपयोग करने पर निषेध लगाती हैं। अधिनियम का उल्लंघन एक दण्डनीय अपराध है। परिषद्, अधिनियम के उल्लंघनों पर विराम लगाने के लिए उल्लंघनकर्ताओं को सूचनाएं भेज रही है।

29. संबंधित प्राधिकरणों के साथ विधिवत पंजीकृत वास्तुकला कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि न्यास परिषद् स्थापित करना

वास्तुकला परिषद् कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि न्यास जो है उसे विधिवत पंजीकृत कर दिया गया है और संबंधित प्राधिकरणों द्वारा उसकी मान्यता निर्धारित करने के लिए भावी कार्रवाई की जा रही है।

30. प्रकाशन:

परिषद् ने वास्तुविद निर्देशिका 2020 और पेशेवर प्रलेख पुस्तिका 2020 मुद्रित एवं प्रकाशित की है। पुस्तिका का वितरण परिषद् के सदस्यों में मध्य, वास्तुविदों, वास्तुकला संस्थानों और सरकारी विभागों को किया गया है। परिषद् द्वारा अपने प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र (टीआरसी) द्वारा प्रकाशित की गई/प्रकाशित की जा रही पुस्तकों की सूची निम्नानुसार है:

- वास्तुकला शोध–निबंध (थीसिस) 2017 का अभिलेखीकरण।
- वास्तुकला परिषद् की पत्रिका: चिरकालिक विकास
- वास्तुकला परिषद् की पत्रिका: विरासत एवं संरक्षण
- वास्तुकला परिषद् की पत्रिका: समावेशी वातावरण
- वास्तुकला शोध–निबंध (थीसिस) 2019 का अभिलेखीकरण।
- वास्तुकला शोध–निबंध (थीसिस) 2020 का अभिलेखीकरण।
- वास्तुकला विरासत 2019 के प्रलेखीकरण हेतु विद्यार्थी पुरस्कार पुस्तक
- वास्तुकला विरासत 2020 के प्रलेखीकरण हेतु विद्यार्थी पुरस्कार पुस्तक
- विद्यार्थियों एवं युवा वास्तुविदों के लिए सीओए वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय निबंध लेखन प्रतियोगिता 2020 पुस्तक
- वास्तुकला विद्यालयों में अध्यापकों के लिए सीओए वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय निबंध लेखन प्रतियोगिता 2020 पुस्तक
- वास्तुकला शोध–निबंध (थीसिस) 2018 का अभिलेखीकरण।
- वास्तुकला विरासत 2018 का प्रलेखीकरण।

31. पावती :

परिषद्, वास्तुविद अधिनियम 1972 के क्रियान्वयन में केंद्र सरकार और इसके अधिकारियों, समस्त राज्य सरकारों, केंद्रशासित प्रदेशों, समस्त वास्तुकला संस्थानों को उनके व्यापक सहयोग के लिए अपनी सराहना और आभार व्यक्त करती है। परिषद्, वास्तुविद अधिनियम 1972 के उद्देश्यों का संविस्तार करने के लिए वास्तुकला परिषद् के पदाधिकारियों एवं सदस्यों, विशेषज्ञों, लेखा–परीक्षकों, अभिवक्ताओं, अन्य पेशेवर निकायों, अभ्यासरत् वास्तुविदों, शिक्षाविदों और समस्त विज्ञापनदाताओं को उनके सहयोग, मार्गदर्शन, सलाह एवं समर्थन के लिए अपना आभार व्यक्त करती है।

परिषद्, अपने अधिकारियों व कर्मचारियों और वर्ष 2020–21 की समयावधि में परिषद् को उपयोगी सेवाएं प्रदान करने वाले समस्त व्यक्तियों व निकायों को भी अपना आभार व्यक्त करती है।

दिनांकितः 02.11.2021

आर. के. ओबराय, पंजीयक (रजिस्ट्रार)

[विज्ञापन III/4/असा./188/2022-23]

वी.के. वर्मा एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
सी–37, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001
दूरभाषः 23415811, 23416858, 23415778, 23411014
फैक्सः 91–11–23417925
ईमेलः vkverma@vkvermaco.com
pverma@vkvermaco.com

प्रत्युत्तर में कृपया उद्धृत करें

स्वतंत्र लेखा–परीक्षक का प्रतिवेदन

हमने ''वास्तुकला परिषद्'', इंडिया हैबिटेट सेंटर, कोर 6–ए, प्रथम तल, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003, के 31 मार्च 2020 के रूप में संलग्न तुलन–पत्र, आय एवं व्यय खाता और 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के प्राप्तियां एवं भुगतान खाता का लेखा–परीक्षण कर लिया है। इन खातों में परिषद् के समस्त कार्यालयों के खाते सम्मिलित हैं। यह वित्तीय परिणाम, परिषद् के प्रबंधन का उत्तरदायित्व हैं। हमारा उत्तरदायित्व, हमारे अपने लेखा–परीक्षण के आधार पर इन वित्तीय परिणामों पर एक राय व्यक्त करना है।

हमने जो भी लेखा–परीक्षण किया है, वह भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्गत आज की तिथि तक अधिसूचित सामान्यतयः स्वीकृत अंकेक्षणन एवं लेखांकन मानकों के अनुसार किया है। इन पूर्वोक्त मानकों में इस आवश्यकता पर बल दिया गया है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करते हुए लेखा–परीक्षण की योजना ऐसे बनाएं और इसका इस प्रकार निष्पादन करें ताकि इस संबंध में यथोचित आश्वासन प्राप्त हो जाए कि वित्तीय विवरण सामग्रीमूलक अनुचित–विवरणों से विमुक्त हैं। एक लेखा–परीक्षण में वित्तीय विवरणों में उल्लिखित धनराशियों और प्राकट्यों के बारे में लेखा–परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादनकारी प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। चयनित प्रक्रिया लेखा–परीक्षक के विवेक पर निर्भर होती है, इसमें धोखाधडी अथवा त्रुटि के कारणवश, वित्तीय परिणामों के सामग्रीमूलक त्रुटिपूर्ण–विवरण के जोखिम का मूल्यांकन सम्मिलित होता है। इन पूर्वोक्त जोखिम मूल्यांकनों को करते हुए लेखा–परीक्षक उन आंतरिक नियंत्रणों का विचार तो करता है, जो परिस्थितियों में समुचित प्रतीत होती लेखा–परीक्षा प्रक्रियाएं बनाने के क्रम में वित्तीय परिणामों की तैयारी और उचित प्रस्तुतिकरण के लिए दिए गए होते हैं, परंतु इन्हें आंतरिक नियंत्रणों की कार्यसाधकता पर कोई राय प्रकट करने के उद्देश्य से नहीं दिया जाता। एक लेखा–परीक्षण में उपयोग में लाई गईं लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन प्राक्कलनों की विश्वसनीयता के मूल्यांकन के साथ ही साथ वित्तीय परिणामों के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी सम्मिलित होता है। हमें विश्वास है कि हमने जो लेखा–परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है वह हमारी लेखा–परीक्षा राय हेतु एक आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त एवं समुचित है और अनुलग्नक 14 की टिप्पणी सं. 1 से 18 के अधीन है– *खातों के भाग के रूप में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं टिप्पणियां।*

हम, अब यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं किः

1. हमने वह समस्त जानकारियां और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार लेखा–परीक्षण उद्देश्य हेतु अनिवार्य थीं/थे,
2. हमारी राय में, वास्तुविद अधिनियम 1972 द्वारा अपेक्षितानुसार खातों/लेखों की समुचित बहियां परिषद् द्वारा अब तक संभाल कर रखी गई हैं, यह बिंदु तब ध्यान में आया जब हमारे द्वारा ऐसी बहियों की जांच–पडताल की गई,
3. प्रतिवेदन से संबद्ध तुलन–पत्र, आय एवं व्यय खाता तथा प्राप्तियां व भुगतान खाता जो हैं वे खाता बहियों के साथ निर्धारित अनुबंधाधीन हैं, और

4. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, संलग्न अनुसूचियों के साथ तथा खातों के भाग के रूप में विद्यमान लेखांकन नीतियों व टिप्पणियों के साथ पठित खातों के उक्त विवरण एक सत्य एवं स्पष्ट अवलोकन प्रस्तुत करता है:–

क) 31 मार्च 2021 के रूप में परिषद् के कार्यों के विवरण के तुलन–पत्र के विषय में, तथा

ख) 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु व्यय की तुलना में आय के आधिक्य के आय एवं व्यय खाता के विषय में।

ग) 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु प्राप्तियों एवं भुगतानों के प्रवाहों के प्राप्ति एवं भुगतान खाता के विषय में।

कृते वी के वर्मा एण्ड कं.सनदी लेखाकार

एफआरएन 0000386एन

हस्ता./–

(आर.सी. हसीजा)

सदस्यता संख्या 054809

दिनांक: 22.10.2021

स्थान: नई दिल्ली

यूडीआईएन: 21054809एएएएसीजेड7063

(वास्तुविद अधिनियम 1972 के अंतर्गत स्थापित, भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित)

(अलाभकारी संगठन–एक शासकीय प्राधिकरण के रूप में गठित)

31 मार्च 2021 के रूप में तुलन–पत्र (राशि – रु.)

	अनुसूची	वर्त वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
राशि/पूंजी निधि एवं देनदारियां			
भारत सरकार का पूंजी योगदान	1	150000.00	150000.00
सुनिश्चित निधियां	2	964292721.00	733467395.00
देनदारियां	3	296669371.00	319864113.00
अधिशेष/घाटा खाता	7	400818162.18	366665713.73
कुल		1661930254.18	1420147221.73
परिसंपत्तियां			
स्थायी परिसंपत्तियां	4	215598899.00	216200757.00
निवेश	5	1227091035.00	966905204.00
वर्त परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	6	219240320.18	237041260.73
कुल		1661930254.18	1420147221.73
खातों के अनुसार लेखांकन नीतियां एवं टिप्पणियां	14		

वास्तुकला परिषद्

के लिए एवं उसकी ओर से

हस्ता./– हस्ता./–

(रजिस्ट्रार) (अध्यक्ष)

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 22.10.2021

सम तिथि के हमारे पृथक प्रतिवेदन के अनुसार

कृते वी.के. वर्मा एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

एफआरएन: 000386एन

हस्ता./–

(सीए आर.सी. हसीजा)

सदस्यता संख्या 054809

(वास्तुविद अधिनियम 1972 के अंतर्गत स्थापित, भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित)

(अलाभकारी संगठन–एक शासकीय प्राधिकरण के रूप में गठित)

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय (राशि – रु.)

	अनुसूची	वर्त वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
आय			
शुल्क	8	44866394.00	38105424.00
अन्य आय	9	155707081.00	155863428.79
अर्जित ब्याज	10	70120139.32	61654252.75
कुल (क)		27,06,93,614.32	25,56,23,105.54
व्यय	11	20661489.00	18967814.00
प्रतिष्ठान व्यय	12	9492127.87	12979503.15
प्रशासन व्यय	13	5574988.00	905740.00
शिक्षा एवं अभ्यास के संवर्द्धन से संबंधित व्यय	4	812561.00	1048977.00
ह्रास			
कुल (ख)		36541165.87	33902034.15
व्यय की तुलना में आय के आधिक्य के रूप में शेष (क–ख)		234152448.45	221721071.39
अधिशेष एवं घाटा खाता में अंतरित		234152448.45	221721071.39
खातों के अनुसार लेखांकन नीतियां एवं टिप्पणियां	14		

वास्तुकला परिषद्
के लिए एवं उसकी ओर से

हस्ता./–
(रजिस्ट्रार)

हस्ता./–
(अध्यक्ष)

सम तिथि के हमारे पृथक प्रतिवेदन के अनुसार
कृते वी.के. वर्मा एण्ड कं.सनदी लेखाकार
एफआरएनः 000386एन

हस्ता./–
(सीए आर.सी. हसीजा)
सदस्यता संख्या 054809

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 22.10.2021

(वास्तुविद अधिनियम 1972 के अंतर्गत स्थापित, भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित)

(अलाभकारी संगठन–एक शासकीय प्राधिकरण के रूप में गठित)

31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि हेतु प्राप्ति एवं भुगतान खाता (राशि – रु.)

प्राप्तिया	वर्त वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	भुगतान	वर्त वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
I प्रारंभिक शेष			I व्यय		
क) रोकड शेष	14,500 00	17,408 00	क) प्रतिष्ठान व्यय (अनुसूची 11 के अनुरूप)	2,06,61,489 00	1,89,67,814 00
ख) ऑनलाइन पीजी प्राप्तिया	19,35,245 00	4,49,010 00		94,92,127 87	1,29,79,503 15
ग) बैंक शेष			ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 12 के अनुरूप)	13,33,449 00	9,05,740 00
1) चालू/ओडी खातों मे	19,43,919 51	18,038 51			
2) बचत खाता	15,70,13,234 66	2,63,18,857 83	ग) शिक्षा एव अभ्यास के सवर्द्धन से सबधित व्यय (अनुसूची 13 के अनुरूप)		
3) रोकड ड्राफ्ट्स	61,390 00	80,330 00			
II प्राप्त निधिया			II विभिन्न परियोजनाओं हेतु उपलब्ध निधियों के समक्ष किए गए भुगतान	2,41,67,754 00	3,25,42,820 21
क) मूल्याकन शुल्क	6,40,50,000 00	7,17,50,000 00		1,30,81,703 00	2,59,77,382 00
ख) निर्णय पुनरीक्षण का शुल्क	0 00	38,50,000 00	क) नाटा व्यय	0 00	82,333 00

ग) इन्ट्यूशन का अर्थदड/दड	27,55 000 000	6,80,000 00	ख) मूल्याकन एव निरीक्षण व्यय	31,43,013 00	0 00
घ) सस्थान का नाम/स्थल परिवर्तन/समापन का शुल्क	17,00,000 00	30,00,000 00	ग) विवाचन व्यय	21,46,987 00	36,85,903 00
ड) विवाचन शुल्क/प्रशासनिक प्रभार	1,38,333 00	1,68,500 00	घ) वास्तुविद व्ययों की निर्देशिका	0 00	12,46,513 00
(ii) प्राप्त ब्याज			ड) प्रकाशन व्यय	52,55,789 00	54,96,676 00
क) बैंक जमाओ पर	5,93,06,526 32	5,77,60,176 75	च) बीईई कार्यक्रम व्यय		
ख) ऋण, अग्रिम, इत्यादि	9,66,176 00	11,80,891 00	छ) गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम सचालन व्यय	53,06,14,890 00	55,90,48,166 00
ग) बचत बैंक खाता पर	98,47,437 00	27,13,185 00	(iii) किए गए निवेश तथा की गई जमाए	0 00	3,55,00,000 00
IV शुल्क आय			क) सुनिश्चित/दानमूलक निधियों मे से		
क) पजीकरण शुल्क	65,75,400 00	76,39,200 00	ख) वास्तुकला सस्थान से प्राप्त प्रतिभूति जमा मे से		
ख) नवीनीकरण शुल्क	1,05,41,400 00	72,57,100 00	**IV** स्थायी परिसपत्तियों एव प्रगति अधीन पूजी पर व्यय	2,10,703 00	20,70,84,780 00
ग) पुनस्थापन शुल्क	59,51,000 00	38,82,000 00	क) स्थायी परिसपत्तियों का क्रय	47,13,766 00	59,85,286 00
घ) अनुलिपि प्रमाणपत्र शुल्क	2,31,000 00	2,80,800 00	**V** अन्य भुगतान	19,89,000 00	10,00,000 00
ड) वास्तुविदो से लिया गया अर्थदड	1,19,03,920 00	1,03,95,250 00	क) बैंक/कपनियों द्वारा काटा गया टीडीएस	1,82,942 00	8,14,257 00
च) एकमुश्त नवीनीकरण शुल्क का नियोजन	96,62,674 00	86,50,474 00	ख) कर्मचारियों को अग्रिम	96,62,674 00	86,50,474 00
छ) अतिरिक्त योग्यता शुल्क	1,000 00	600 00	ग) अन्य अग्रिम	8,84,55,800 00	10,10,71,000 00
V अन्य आय			घ) एकमुश्त नवीनीकरण शुल्क का नियोजन	6,53,00,000 00	7,12,50,000 00
क) प्रकाशनों से आय	1,06,92,695 00	37,58,683 00	ड) नाटा शुल्क अग्रिम	15,43,182 00	4,86,738 50
ख) आरटीआई शुल्क	520 00	820 00	च) मूल्याकन शुल्क अग्रिम	25,19,272 37	28,61,534 67
ग) नाटा शुल्क	11,47,56,800 00	12,62,32,600 00	छ) प्राप्ययोग्य/भुगतानयोग्य राशि	9,66,176 00	11,80,891 00
घ) नाटा आकडा सहभाजन प्रभार	0 00	29,00,000 00	ज) वर्ष हेतु प्रोदभूतकृत बैंक ब्याज	13,76,500 00	6,60,751 00
ड) विविध आय	10,177 00	60,949 00	झ) कर्मचारी अग्रिम पर प्रोदभूतकृत ब्याज	5,00,000 00	0 00
च) गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम प्रभार का प्रबधन	10,14,250 00	93,85,000 00	ञ) नाटा परीक्षा हेतु पूर्वभुगतेय व्यय	50,00,000 00	0 00
छ) शोध निबध (थीसिस) पुरस्कार कार्यक्रम–प्रायोजकता	10,00,000 00	15,23,300 00	ट) विद्यमान वास्तुकला सस्थानों से प्राप्त प्रतिभूति जमाए	50,930 00	14,500 00
VI अन्य प्राप्तिया			ठ) नवीन वास्तुकला सस्थानों से प्राप्त प्रतिभूति जमाए	17,11,988 51	19,43,919 51
क) एकमुश्त नवीनीकरण शुल्क	4,04,88,000 00	3,47,53,000 00		13,57,22,465 91	15,70,13,234 66
ख) वर्ष के दौरान परिपक्व एफडीआर	27,04,29,059 00	31,98,00,207 00	**VI** समापन शेष	7,09,109 00	61,390 00
ग) कर्मचारियों से वसूला गया अग्रिम	26,21,400 00	24,08,335 00	क) रोकड शेष	9,48,377 00	19,35,245 00
घ) अन्य वसूले गए अग्रिम	10,42,932 00	35,18,05,222 55	ख) बैंक शेष		
ड) प्रोदभूतकृत ब्याज के विरुद्ध समायोजित ब्याज	29,96,038 67	36,44,607 06	1) चालू/ओडी खातो मे		
च) भुगतानयोग्य कर/राशि/पोस्टेज	59,87,089 50	20,68,900 00	2) बचत खाता		
छ) नाटा शुल्क अग्रिम	5,85,65,000 00	8,84,55,800 00	3) रोकड ड्राफ्ट्स		
ज) डीओए/एचबी–2020 विज्ञा प्राप्ति/अग्रिम	19,07,971 00	31,32,390 00	4) ऑनलाइन पीजी प्राप्तिया		
झ) मूल्याकन शुल्क अग्रिम	6,28,50,000 00	6,53,00,000 00			
ञ) निष्पादन प्रतिभूति	0 00	12,86,526 00			
ट) विद्यमान वास्तुकला सस्थानों की प्रतिभूति जमाए	0 00	5,00,000 00			
ठ) नवीन वास्तुकला सस्थानो की प्रतिभूति जमाए	1,25,00,000 00	3,50,00,000 00			
ड) बीईई प्रायोजकता/प्रशासनिक प्रभार	0 00	3,38,691 00			
कुल	93,14,60,087 66	1,25,84,46,851 70	कुल	93,14,60,087 66	1,25,84,46,851 70

वास्तुकला परिषद्
के लिए एवं उसकी ओर से

हस्ता./–
(रजिस्ट्रार)

हस्ता./–
(अध्यक्ष)

सम तिथि के हमारे पृथक प्रतिवेदन के अनुसार
कृते वी.के. वर्मा एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 000386एन

हस्ता./–
(सीए आर.सी. हसीजा)
सदस्यता संख्या 054809

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 22.10.2021

COUNCIL OF ARCHITECTURE

(A statutory authority of Govt. of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2021

ANNUAL REPORT 2020-2021

F. No.CA/55/2021/Annual Report.—The Council of Architecture set up under the Architects Act, 1972, deems it a pleasure to present the Annual Report and Audited Statement of Accounts for the financial year ending on 31stMarch, 2021.

The Council is functioning under the Ministry of Education, Department of Higher Education, Government of India and is regulatory body for architectural education and profession in the country.

Organizational Structure:

The President, Council of Architecture, is the Head of the Organization under whose overall charge the Council functions. Ar. Habeeb Khan is President of the Council. The Registrar, Council of Architecture is the Chief Executive Officer of the Council.

Statutory and other Committee:

In order to carry out the objectives of the Act, the Central Government has framed Rules and the Council has framed Regulations and constituted various Committees to carry on the duties and functions of the Council. The Executive Committee functions as an Executive Authority of the Council. The Disciplinary Committee investigates the complaints and holds enquiries related to allegations of professional misconduct against architects. The Advisory Committee (Appeals) hears the appeals of the applications whose applications for registration are rejected. Apart from these several other Committees are constituted from time to time for particular/special purposes.

Further, the Council also constituted a Scrutiny Committee to examine the reference received to scrutinize the proposals/applications received from new institutions for imparting Bachelor's Degree in Architecture and Master's Degree in Architecture. The details of the various activities undertaken by the Council from 01.04.2020 to 31.03.2021 are enumerated below:

1. MEETINGS:

Council Meetings:

During the year under report the Council had two meetings i.e. 73rd Meeting on 26th July, 2020 and 74th meeting on 19th December, 2020. Due to Pandemic of Covid 19 both the meetings were conducted online.

Executive Committee Meetings:

During the year under report the Executive Committee had its 16 meetings as under:

Sl.No.	Meeting No.	Held on	Mode
1.	211th Meeting	01st April, 2020	Online
2.	212th Meeting	11th April, 2020	Online
3.	213th Meeting	28th April, 2020	Online
4.	214th Meeting	25th May, 2020	Online
5.	215th Meeting	30th May, 2020	Online
6.	216th Meeting	03rd June, 2020	Online
7.	217th Meeting	21st June, 2020	Online
8.	218th Meeting	10th and 12th July, 2020	Online
9.	219th Meeting	02nd August, 2020	Online
10.	220th Meeting	05th August, 2020	Online
11.	221st Meeting	23rd August, 2020	Online
12.	222nd Meeting	28th September, 2020	Online
13.	223rd Meeting	15th October, 2020	Online
14.	224th Meeting	29th October, 2020	Online

15.	225th Meeting	12th November, 2020	Online
16.	226th Meeting	15th December, 2020	Online

2. REGISTRATION OF ARCHITECTS:

The Council registers a person, as an Architect under Section 25 of the Act, who resides or carries on the profession of Architecture in India and holds a recognized architectural qualification. The registration application and fees can be submitted in online as well as in offline mode.

During the period under report, Council has granted registration to 9531 qualified persons as Architects. With this as on 31st March, 2021, a total of 130475 Architects have been registered as architects. On 31st March, 2021. The state wise details of 108672 architects who hold valid registration as on 31.03.2021, is as under:

Sl.No.	Name of States/UTs	Registered Architects
1.	Andaman and Nicobar	39
2.	Andhra Pradesh	1620
3.	Arunachal Pradesh	66
4.	Assam	781
5.	Bihar	873
6.	Chandigarh	818
7.	Chhattisgarh	944
8.	Dadar and Nagar Haveli	22
9.	Daman and Diu	38
10.	Delhi	9839
11.	Goa	796
12.	Gujarat	6737
13.	Haryana	4338
14.	Himachal Pradesh	573
15.	Jammu and Kashmir	370
16.	Jharkhand	549
17.	Karnataka	7935
18.	Kerala	5778
19.	Ladakh	04
20.	Lakshadweep	03
21.	Madhya Pradesh	3024
22.	Maharashtra	29994
23.	Manipur	128
24.	Meghalaya	137
25.	Mizoram	98
26.	Nagaland	60
27.	Orissa	1127
28.	Pondicherry	243
29.	Punjab	2104
30.	Rajasthan	2412

31.	Sikkim	78
32.	Tamil Nadu	11820
33.	Telangana	3941
34.	Tripura	45
35.	Uttaranchal	896
36.	Uttar Pradesh	8026
37.	West Bengal	2414
38.	C/o 56 APO	01
39.	C/o 99 APO	01
Total		**108672**

3. RENEWAL OF REGISTRATION OF ARCHITECTS:

During the period under report the Council has renewed registration of 16150 architects on annual basis and 6748 architects has made one-time renewal and 5957 architects has restored their registration upon payment of requisite fees.

4. RELAXATION IN ELIGIBILITY FOR ADMISSION TO B.ARCH. COURSE FOR ACADEMIC SESSION 2020-2021.

In view of the Covid 19 Pandemic situation all over India, the 10+2 exams could not be held in many parts of the Country and results were declared on basis of previous performance of the candidate.

The Council, therefore, decided to relax the requirement of obtaining 50% marks in 10+2 examination and also in PCM subjects by amending the 1983 Regulations with the approval of the Central government. The amendments in 1983 Regulations were published in the Gazette of India (Extraordinary) Part-III, Section 4 on 06.08.2020.

5. APPROVAL OF COUNCIL OF ARCHITECTURE MINIMUM STANDARDS OF ARCHITECTURAL EDUCATION REGULATIONS, 2020:

In terms of the provisions of Section 21 of the Architects Act, 1972, the Council is vested with the power to prescribe minimum standards of architectural education for imparting recognized qualifications by architectural institutions. The Council earlier framed Regulations on Minimum Standards of Architecture Education with the approval of the Central Government in the year 1983.

The Ministry of Education, Govt. of India, has approved the Council of Architecture (Minimum Standards of Architectural Education) Regulations, 2020 on 04.08.2020. The same were launched by Dr. Ramesh Pokhriyal, Hon'ble HRD Minister on 11.08.2020 and also published in the Gazette of India (Extraordinary) Part-III, Section 4 on 11.08.2020. These Regulations are in force since 1st November, 2020.

The Regulations inter alia provide for Choice based Credit System, a course content which is more relevant to current needs of architectural profession, latest qualifications and pay-scales for faculty members and are compliant with the various provisions of National Education Policy.

6. AMENDMENTS TO THE ARCHITECTS ACT, 1972.

The Architects Act, 1972 was enacted in the year 1972 and requires amendment to cope with the challenges posed by the present times. The comprehensive amendments are required especially in view of the recommendations of Parliament Standing Committee on HRD to carryout comprehensive amendments in the Architects Act, 1972.

The Council constituted a Committee consisting of following Members for finalising the proposal of the Council, as prepared from time to time.

1. Ar. Amogh Kumar Gupta, Convenor
2. Ar. Kapil Setia, Member
3. Ar. Mala Mohan, Member
4. Ar. P.R. Mehta, Special Invitee
5. Ar. Balbir Verma, Special Invitee

The Revised Proposal as finalised and recommended by the Committee was considered by the Full Council at its 72nd Meeting and it was decided to reconsider the same in the light of the provisions of National Education Policy being formed by the Central Government.

Further, to have wider consultations on the proposed amendments in the Architects Act, 1972 a webinar was held in May 2020 to have the views and suggestions of all the stake holders. The Council also uploaded the amendment proposal on its website so that all stake holders can view and make their views/suggestions on the same. The Council has received several views/suggestions on the same. After cessation of membership of Ar. Mala Mohan the Committee has been re-constituted as under:

1. Ar. Amogh Kumar Gupta, Convenor
2. Ar. Kapil Setia, Member, Member
3. Ar. N. K. Negi, Member
4. Ar. Mala Mohan, Special Invitee
5. Ar. P.R. Mehta, Special Invitee
6. Ar. Balbir Verma, Special Invitee

However, upon receipt of judgment dated 17th March, 2020, in Mukesh Goyal vs State of Uttar Pradesh, the Committee recommended that Section 37 of the Act requires urgent amendments and accordingly a proposal of amendment of Section 37 has been submitted to Central Government.

7. COMPLAINTS FOR PROFESSIONAL MISCONDUCT AGAINST ARCHITECTS:

All Architects are required to observe and abide by the provisions of the Architects (Professional Conduct) Regulations, 1989. The Act provides for taking action against an architect who is found guilty of professional misconduct upon investigation and after providing opportunity of hearing to the concerned Architect.

The Council in its 74th Meeting held on 19.12.2020, considered 17 complaints for alleged professional misconduct against Architects. The Council referred 2 complaints to Disciplinary Committee for investigation and dismissed 12 complaints. Further, 3 complaints were referred back for submission of preliminary report.

During the year under the report, the Council has received 10 new complaints against Architects for alleged professional misconduct.

The Council after affording opportunity of hearing in terms of Section 30 of the Architects Act, 1972, found Ar. M.D.Budhiraja, New Delhi, Guilty of Professional Misconduct and suspended his registration as an Architect for a period of 6 months.

8. DISCIPLINARY COMMITTEE:

In terms of Council of Architecture Rules, 1973, the Disciplinary Committee is constituted by the Central Government, from time to time by gazette notification, to investigate the complaints received against Architects for alleged professional misconduct as referred by the Council.

Consequent upon cessation of membership of Ar. Navneet Kumar, ADG(Arch) CPWD on 07.01.2020, the Disciplinary Committee was reconstituted by the Central Government on 28.10.2020 and name of Ar. Mahendra Pratap Singh was included.

The Disciplinary Committee met once i.e. on 19.02.2021 due to Covid 19 Pandemic situation and 4 complaint cases were taken up investigation online.

Further, upon cessation of membership of Ar. N. K. Negi on 22.02.2021, the Council on 05.03.2021 proposed the name of Ar.Amogh Kumar Gupta as a member of Disciplinary Committee by circulation of papers for approval of the Council Members. The same was sent to the Central Government on 20.04.2021 for notification in the Official Gazette. The same was notified by the Central Government on 15.07.2021.

9. COMMITTEE ON RECOGNITION OF FOREIGN QUALIFICATIONS:

In terms of Section 15 of the Architects Act, 1972, the Central Government is empowered to recognize foreign architectural qualifications, upon consultation with the Council of Architecture, for the purposes of the Architects Act, 1972.

The Council has constituted a Committee to consider the references received from the Central Government and make its report. During the year under report the Committee met 5 times i.e. 12.10.2020, 19.10.2020, 04.01.2021, 08.02.2021 and 19.03.2021 and considered the cases received from the Central Government and has submitted its report to Full Council.

The Central Government after consultation with the Council of Architecture on 10.11.2020 notified in the Gazette of India following foreign architectural qualifications as recognized for the purposes of the Architects Act, 1972 :

a. B.A.(Hons) degree in Architecture awarded by Yale University, USA combined together with Master of Architecture (M.Arch.) degree awarded by Columbia University, USA.

b. Bachelor of Architecture Degree awarded by University of Texas at Austin, School of Architecture, USA.

c. Bachelor of Architecture Degree awarded by Woodbury University, USA.

d. Bachelor of Architecture Degree awarded by New York Institute of Technology, New York, USA."

e. Integrated Bachelor's Degree of Science in Architecture together with Master of Science in Architecture awarded by Politechnico Di Milano, Italy.

f. Bachelor of Technology in Architecture (B.Tech. Arch) awarded by Federal University of Technology, Akure, Nigeria.

g. Bachelor of Science in Built Environment combined together with Master of Science in Architecture awarded by University of Moratuwa, Sri Lanka.

h. Bachelor of Architecture Degree awarded by American University of Sharjah, UAE.

10. PERSPECTIVE PLAN :

The Council noticed increase in opening of architectural colleges due to increased demand for the architectural course across the country, however, in due course of time, it was observed that the overall quality of education is not rising to the level as it should be. Apart from many issues, Institutes are not able to maintain Council's minimum standards of Architectural education, resulting in falling of standards. To add to the situation, the graduating architects found dismal opportunities of employment and gradually the admissions into architecture as a stream started dwindling. It appeared prima-facie that mushrooming of institutions without a defined policy and absence of a road map could be one of the reasons for the malady.

The Council in order to address the situation, constituted a committee headed by Dr. Kavita Daryani Rao, Vice-Chancellor, JNAFAU, Hyderabad, with Ar.Pushkar Kanvinde, Ex-Principal BKPS Pune and practising Ar. Bansan Singh Thangkiew, Chief Architect, Meghalaya and Ar.Shyam Kishore Singh, Practising Architect and Ex-Council member, Patna as members to look into this issue. The committee was mandated to suggest future course of action and frame a policy.

The Executive Committee at its 210th meeting held on 21st & 22nd February, 2020, approved the Perspective plan in order to streamline the process of opening up of new colleges, sanction of additional intake, restoration of intake and approval of new additional courses. The Perspective Plan was approved by the Full Council through circulation of papers on 08.07.2020.

As per report of Committee, the Policy would streamline opening up of new colleges, sanction of additional intake, restoration of intake and approval of new additional courses. The policy has been uploaded on the Council's website for information and compliance by all concerned.

11. CLOSURE POLICY FOR ARCHITECTURAL INSTITUTIONS:

The Executive Committee at its 210th meeting held on 21st & 22nd February, 2020, approved the policy for closure of Architectural Institutions in order to streamline the process of closure of institutions and same the interest of students. The same was ratified by the Council in its 74th Meeting held on 19th December, 2020. The Policy is as under:

- An existing Institution seeking Closure, through its Promoter, shall apply to the Council, in prescribed format along with documents as may be required, and payment of charges of Rs.5,00,000/-. In case the institution has submitted Security Deposit to the Council, the amount may be deducted from the Security Deposit and balance amount, if any, be refunded to the institution.

- The Council shall not consider for Progressive Closure of an institution. The application submitted by institution shall be considered for complete closure and the students, if any, pursuing B.Arch. Course shall be transferred/migrated to appropriate semester/level of the course to other institutions approved by the Council in the State within the sanctioned intake as per the available vacancy of seats. The institutions/universities receiving the migrated students from such institutions applying for closure may be required to conduct examination, classes etc. in case student(s) have any pending papers/backlogs in previous semesters.

- ❖ The application for closure shall be approved by the Council subject to submission of following documents by the institution:

  i. Details of B.Arch. course being imparted at the institution along with year-wise number of students admitted/passed out (if any) from institution since inception of the course.

  ii. Year-wise list of current students (if any) studying the B.Arch., course including name, father's name, date of birth, enrolment numbers issued by Council, NATA/Aptitude Test marks/rank with Roll No, year/semester of course, previous ATKT subjects & status of pass/fail, etc.

  iii. Reasons for closure of institution.

  iv. The permission/NOC of the concerned University and competent authority of the respective State/Central Government.

  v. The consent/NOC of the B.Arch. students currently studying, if any, is obtained.

  vi. Certificate from competent authority of institution that no matter related to students are pending at the institution.

  vii. Certificate from competent authority of institution that all marksheets have been issued to the B.Arch. students for their previous examinations.

  viii. Undertaking from competent authority of institution that all original certificates of the students shall be returned to the students after application for closure is approved by the Council.

  ix. No due certificate of salary and other allowances/dues of faculty, non-teaching staff.

  x. Certificate that no Court case is filed/ pending against the Institution related to conduct of B.Arch. course and no Charge sheet is filed against the Institution.

  - ❖ In case the institution did not commence the B.Arch. course after approval from the Council and did not admit any students, only relevant documents, as may be applicable, shall be submitted by the institution."

12. PREPARATION OF MANUAL OF ARCHITECTURAL PRACTICE:

The Council has constituted a Committee consisting of Ar. J.Manoharan, Convenor, Ar.P.Vaitianadin, Member, Ar.N. Mahesh, Member, Ar.Vijay Uppal, Member, Ar.Prashant Sutaria, Member, Ar.Sandeep Shikre, Member, Ar.Salil Randive, Member for preparation of Manual of Architectural Practice. The Manual will have five Volumes namely, Volume 1 – Guidelines for Architecture Practice, Volume 2 – Guidelines for Engagement of Architects and Code for Architectural Competitions, Volume 3- Guidelines for Architectural Contracts, Volume 4 – Guidelines for Architectural Services and Fees and Volume 5 – Guidelines for Management of Firms.

Further, it is also decided that Role of Architects in Government Servicer be made as Volume 6. The preparation of the Manual is in final stages.

13. SCHOLARSHIP SCHEME FOR ECONOMICALLY WEAKER STUDENTS:

The Council of Architecture (COA) is mandated prescribe and regulate the standards of architectural education in the country to take all such steps as are required to meet the objects of the Act. COA on its part, is taking numerous steps to achieve the objectives of the Act.

With the liberalisation of Higher Education and Technical education in the country, large number of institutions imparting architectural education has been made operational. Majority of these institutions have been opened in the private sector.

With the large-scale entry of the private sector in the domain of architectural education, the cost of imparting architectural education has gone up considerably. This has led to making the cost of imparting education unaffordable to large number of aspiring and deserving students, who want to pursue Architecture as a career and profession but are unable to do so due to lack of availability of financial resources to fund the cost of education. The exclusion of the talented aspiring students has implications for the profession in terms of losing quality/talented future professionals and also making the education less meaningful.

In order to attract aspiring, talented and deserving candidates to the field of architectural profession, who are unable to find adequate financial resources to pay the tuition fee etc., it is proposed to grant scholarship to such needy, deserving and talented students, so that they can join and continue their education in Institutions imparting architectural education for pursuing architecture as a career.

14. ALLOTMENT OF LAND BY GOVERNMENT OF KARNATAKA WITHIN THE CAMPUS OF BANGALORE UNIVERSITY AT GNANA BHARATI CAMPUS, BANGALORE.

The Council requested the Bangalore University for allotment of 2 acres of land for establishing its Training and Research Centre at Bengaluru. The Bangalore University recommended the request of the Council to the Government of Karnataka. The Government of Karnataka has allotted 2 acres of land in favour of Council on lease for a period of 30 years on an Annual lease rent of Rs. 2 lakhs.

The Bangalore University has been requested to communicate the Council about the steps to be taken for taking possession of the said land.

15. SUPPLY OF INFORMATION UNDER RTI ACT, 2005:

Shri Deepak Kumar, Administrative Officer, is Public Information Officer in the Council and Shri Raj Kumar Oberoi, Registrar, is the First Appellate Authority in the Council in terms of provisions of the RTI Act, 2005.

During the period under report, the Council provided information in respect of 98 RTI Applications and dealt with 2 First Appeal as per the RTI Act. The Council has made efforts to disclose maximum information in public domain to reduce the number of RTI Applications and subsequent appeals.

16. **APPROVAL OF NEW INSTITUTIONS IN THE ACADEMIC SESSION 2019-2020:**

During the year under the report, 7 new institutions were granted approval to impart Bachelor of Architecture Courses and 13 existing institutions were granted approval for introduction of PG courses.

At present, there are 469 institutions which are imparting recognized architectural qualifications during the academic session 2020-2021 with the approval of Council.

The state wise number of institutions are listed below :

Sl. No.	State	No of Schools
1.	Andhra Pradesh	9
2.	Assam	2
3.	Bihar	2
4.	Chhattishgarh	4
5.	Chandigarh	1
6.	Delhi	6
7.	Goa	1
8.	Gujarat	34
9.	Himachal Pradesh	3
10.	Haryana	25
11.	Jharkhand	2
12.	Jammu & Kashmir	4
13.	Karnataka	43
14.	Kerala	36
15.	Maharashtra	103
16.	Meghalaya	1
17.	Madhya Pradesh	16
18.	Mizoram	1
19.	Odisha	9
20.	Punjab	14
21.	Puducherry	1
22.	Rajasthan	14

23.	Tamil Nadu	76
24.	Telangana	14
25.	Uttarakhand	5
26.	Uttar Pradesh	35
27.	West Bengal	8
	Total	469

17. APPROVAL OF ARCHITECTURAL INSTITUTIONS FOR THE ACADEMIC SESSION 2020-2021.

The Council of Architecture is required to monitor the maintenance of Minimum Standards as prescribed by the Council for imparting recognised qualifications by the Architectural Institutions.

During the Academic Session 2020-2021 the Council approved the Architectural Institutions as under:

a) The extension of approval for B.Arch. Course : 381

b) The extension of approval for M.Arch. Course : 66 (84 courses)

c) Introduction of B.Arch. Course : 07

d) Introduction of M.Arch. Course : 13

e) Institutions put on 'Zero Intake for B.Arch. Course : 6

f) Institutions put on Zero Intake for M.Arch. Course : 1

g) Institution put on 'withdrawal of approval' : Nil

With the above, presently a total of 388 Architectural Institutions have been approved for imparting UG course and 77 Institutions for imparting Master of Architecture Degree Course during the academic session 2020-21.

18. ISSUANCE OF ENROLMENT NUMBERS TO STUDENTS ADMITTED BY ARCHITECTURAL INSTITUTIONS IN B.ARCH. COURSE:

The Council is issuing enrolment numbers to students admitted by the Institutions to ensure that only eligible students are admitted as per the sanction intake of the Council. The Council is issuing enrolment numbers online based on information furnished by the institutions. Year wise details of enrolment numbers issued by the Council for students of B.Arch. Course in the last 5-years are as under:

Academic Session	No. of Institution applied for enrollment	Enrolled students
2016-2017	399	18800
2017-2018	395	15737
2018-2019	420	17951
2019-2020	411	15514
2020-2021	395	14982

Further, the gender wise details of students in B.Arch. Course are as under:

Academic Session	Boys	Girls	Transgender	Total
2020-2021	6952	8029	1	14982
2019-2020	7387	8126	1	15514
2018-2019	8423	9528	0	17951
2017-2018	7086	8650	1	15737
2016-2017	8901	9898	1	18800

19. NATIONAL APTITUDE TEST IN ARCHITECTURE (NATA):

The Council is conducting National Aptitude Test in Architecture (NATA) every year as a single window examination for admission to first year of 5-year B.Arch. Couse. The NATA 2020 was conducted Twice.

The Test is conducted online twice a year. The First Test was held on 29th August, 2020 and Second Test will conducted on 12th September, 2020. In view of pandemic of Covid-19 students were given option either to appear from the Home or from the Test Centres.

30253 candidates registered for the First Examination held on 29.08.2020 and 22556 Candidates appeared in the test and 20882 Candidates passed the First examination

29158 students registered for the Second examination held on 12.09.2020 and 20631candidates appeared in the Test and 19865 candidates passed the examination held on 12.09.2020.

20. TRAINING PROGRAMME:

In order to enhance/ update and upgrade the knowledge and skills for Faculty members, students and professionals, the Council is conducting training programme every year through its Training and Research Centre at Pune and Bhopal. Due to Covid 19 pandemic all over India, the Council decided to conduct training programme online.

The details of the programme held at TRC Pune as under :

A. ONLINE TRAINING PROGRAMS FOR TEACHERS IN ARCHITECTURE AND PROFESSIONALS:

Sr. No	Name of Programme	Name of Coordinator	Dates	No. of Participants
1.	Teaching Indian Architectural History	Dr. Vaishali Latkar	11th to 15th May 2020	1782
2.	Learning to Teach and Teaching to Learn: Architecture Online	Prof. Jayashree Deshpande	26th to 30th May 2020	1562
3.	Advanced Building Services	Dr. Rama R. Subrahmanian	02nd, 03rd, 06th and 07th July 2020	2261
4.	Conscious Induction of Skills in Architectural Pedagogy: The Need of Time	Dr. Gauri Shiurkar	15th, 16th, 17th, 20th, 21st July 2020	793
5.	Teaching Climate Responsive Design Approach	Prof. Abhay Purohit	28th September to 02nd October 2020	69

B. ONLINE WEBINAR FOR TEACHERS IN ARCHITECTURE AND PROFESSIONALS:

Sr. No	Name of Workshops	Name of Coordinator	Dates	Total registration received
1.	Adjusting to the New Normal: Resilience in Difficult Times	Smt. Vibha Deshpande	20th November 2020	95

C. ONLINE WEBINARS FOR STUDENTS OF ARCHITECTURE:

Sr. No	Name of Workshops	Name of Coordinator	Dates	Total registration received
1.	Just Give me Some Space	Ar. Suha Riyaz Khopatkar	22nd May 2020	824
2.	Just Give me Some Space	Ar. Suha Riyaz Khopatkar	24th July 2020	127

3.	Adjusting to the New Normal: Resilience in Difficult Times	Smt. Vibha Deshpande	20th November 2020	740

The details of programme conducted by TRC Bhopal are as under :

Event		Title	Date	Attended
1	Webinar	NEP 2020 and Traditional Knowledge in Architecture and Planning: Opportunities and Challenges	28th Oct. 2020 at 4 PM - 5 PM	181
1	Webinar	Spatiotemporal Continuum of Traditional Knowledge in Architecture: A Narrative on India	28th Nov. 2020 at 4 PM - 5 PM	118

21. NATIONAL AWARDS PROGRAMME:

1. THESIS AWARDS IN UG & PG THESIS AND ARCHITECTURAL HERITAGE.

The Council of Architecture has been organizing **"National Awards for Excellence in Architectural Thesis"** for undergraduate (since 2006) and Postgraduate Course (since 2015) to motivate the students pursuing their course in Architecture to excel in their academic pursuit.

In 2018, the Council also instituted a new award namely, "**COA Awards for Excellence in Documentation of Architecture Heritage"** with an objective to encourage interest and talent amongst students of architecture across the country in understanding, documentation of heritage buildings to develop & promote sensitivity and awareness towards India's rich architectural heritage.

The Awards programs were launched in December 2020 online since exams all over the country were delayed on account of the pandemic. After the conduct of the online shortlisting of entries and the online Zonal and National Juries, the Awards Declaration Function was conducted online on 2nd May 2021 and was streamed live. The same had a large viewership including Hon'ble Council Members, eminent architects, jury members, professionals, academicians, teachers, and students in Architecture from all over the country.

The jury members were as follows:

- For COA National Awards for Excellence in Post Graduate Thesis in Architecture 2020: Ar. S K Das, Ar. Sathya Prakash Varanashi and Ar. Yatin Pandya
- For COA National Awards for Excellence in Architectural Thesis 2020 and & JK AYA Best Architecture Student of the Year Award: Ar. Bijoy Ramchandran, Ar. Sanjeev Vidyarthi and Ar. Srivathsan A
- For COA Students' Awards for Excellence in Documentation of Architectural Heritage 2020: Ar. Aishwarya Tipnis, Ar. Gurmeet Rai and Ar. Murthy SV

The Award Committee consisted of Prof. Anirudh Paul and Dr.Rama Subramanian.

The details of the Awards are as follows:

1. **NATIONAL AWARDS FOR EXCELLENCE IN ARCHITECTURAL THESIS & JK AYA BEST ARCHITECTURE STUDENT OF THE YEAR AWARD**: (Rs.75,000/- to each winner & Rs.20,000/- to each runner up) + (Rs. 25,000/- by J.K.Cement Ltd. to the winner of the JK AYA awardee)
2. **COA NATIONAL AWARDS FOR EXCELLENCE IN POST GRADUATE THESIS IN ARCHITECTURE** (Rs.75,000/- to each winner & Rs.20,000/- to each runner up)
3. **COA STUDENTS' AWARDS FOR EXCELLENCE IN DOCUMENTATION OF ARCHITECTURAL HERITAGE** (Three Categories viz. Architectural Heritage, Arts & Crafts and Indigenous Housing) (Rs.75,000/- to the winner in each category & Rs.15,000/- to two citation winners in each category)

2. ANNUAL INTERNATIONAL ESSAY WRITING COMPETITION (FOR STUDENTS OF ARCHITECTURE AND YOUNG ARCHITECTS).

The COA Annual International Essay Writing Competition (for Students of Architecture and Young Architects) was launched in May 2020 to promote the culture of research in architecture and to engage the energy, creativity, and vision of the to-be and young architects in promoting a culture of nation building.

The entries received were assessed online by a panel of jurors comprising of eminent architects from architecture practice and education.

The jurors for the final stage of evaluation were: Ar. Jaimini Mehta, Ar. Madhav Joshi, Ar. Neelkanth Chhaya, Ar. Rahul Mehrotra, Ar. Shrish Beri and Ar. Srivathsan A.

The Prize Declaration Function was conducted online on 15th August 2020 and was streamed live. The same had a large viewership including Hon'ble Past Presidents of COA, Hon'ble Council Members, eminent architects, jury members, professionals, academicians, teachers, and students in Architecture from all over the country.

The details of prizes were as follows:

First Prize: 1 No., Certificate + Cash prize of Rs. 25,000/- + Interview/video clip on COA Social

Second Prize: 1 No., Certificate + Cash prize of Rs. 15,000/- + Interview/video clip on COA Social

Third Prize: 1 No., Certificate + Cash prize of Rs. 10,000/- + Interview/video clip on COA Social

Special mention: 5 Nos., Certificate + Interview/video clip on COA Social.

3. **CONDUCT OF COA ANNUAL INTERNATIONAL ESSAY WRITING COMPETITION (FOR TEACHERS IN SCHOOLS OF ARCHITECTURE).**

The COA Annual International Essay Writing Competition 2020 (For Teachers in schools of Architecture) was launched in December 2020 to promote Research in Architecture, to support awareness about Architectural Education, as well as to get new ideas and propositions on various subjects related to Architectural Education and Profession.

The entries received were assessed online by a panel of jurors comprising of eminent architects from architecture practice and education. The jurors for the final stage of evaluation were Ar. Manisha Shodhan Basu, Ar. Neelkanth Chhaya and Ar. Shashi Bhooshan.

The Prize Declaration Function was conducted online on 2nd May 2021 and was streamed live. The same had a large viewership including Hon'ble Past Presidents of COA, Hon'ble Council Members, eminent architects, jury members, professionals, academicians, teachers, and students in Architecture from all over the country.

The details of prizes were as follows:

First Prize: 1 No., Certificate + Cash prize of Rs. 50,000/- + Interview/video clip on COA Social

Second Prize: 1 No., Certificate + Cash prize of Rs. 35,000/- + Interview/video clip on COA Social

Third Prize: 1 No., Certificate + Cash prize of Rs. 20,000/- + Interview/video clip on COA Social

Special mention: 2 Nos., Certificate + Interview/video clip on COA Social

The 2021 cycle of the COA ANNUAL INTERNATIONAL ESSAY WRITING COMPETITION (For Teachers in schools of Architecture, category) has been launched in August 2021 and entries are being received for the same. The matter is placed for information of the Members of the Council.

22. CONTRIBUTION TO PM CARES FUND FOR COVID 19 PANDEMIC RELIEF WORK & DONATIONS RECEIVED FROM INSTITUTIONS/ GENERAL PUBLIC.

In order to contribute to the efforts made by the Government of India to contain the Covid 19 Pandemic, the Council decided to solicit donations from Architects, Architectural institutions and general public, to make contribution to the PM Cares Fund in the Covid-19 pandemic period.

The Council received a sum of Rs.3,79,334/- from the institutions, architects & Council staff towards contributions and after adding Rs.21,20,666/- from CoA's funds, a sum of Rs.25/- Lakhs was be contributed to PM Cares Fund.

23. HOSTING OF ONLINE COMPLAINT FORM AGAINST NON-ARCHITECTS ON THE COUNCIL'S WEBSITE.

The Council has hosted on its website complaint form for making complaints online/ offline against violation of the Architects Act, 1972, by non-architects. The Council has received 246 complaints online against unregistered persons/ quacks during the period from 26.05.2020 to 30.11.2020 and appropriate action has been initiated on these complaints. The Council has also uploaded a statement of all such complaints/ action taken on the Council's website for information of the all concerned.

24. SETTING UP OF ONLINE PUBLIC GRIEVANCE CELL IN THE COUNCIL.

The Council has setup an Online Public Grievance Cell for receiving online complaints from architects, Architectural Institutions, Faculty, students, general public and other stakeholders for faster redressal of such grievance and also to monitor the progress made in such complaints. This will enhance the efficacious disposal of the requests received by the office of the Council.

25. ENHANCEMENT OF FEE BEING CHARGED BY COUNCIL FROM ARCHITECTS.

The Council in its 72nd Meeting held on 24th and 25th January, 2020, a proposal for revision of fees was submitted with the Ministry of Education, Government of India, on 18th November 2020, for suitably amending the Council of Architecture Rules, 1973 for enhancing the fees being charged from the Architects. The decision of the Ministry in the matter is awaited.

26. PROFESSIONAL OUTREACH PROGRAMME:

For spreading awareness about architecture, Architects Act, 1972, Rules & Regulations, and to address the concerns of architects, the Council decided to conduct professional outreach programme. However, due to Covid 19 pandemic and lockdown restrictions all over India the outreach programme could not be conducted. However, the Council started online web portal with name "COASOCIAL" for spreading awareness on various important subjects of related to architects.

27. SELECTION OF ARCHITECTS BY GOVT. DEPARTMENT/UNDERTAKINGS:

The Council wrote to several public authorities to appoint architects as per Council of Architecture Competition Guidelines and on payment of fees as prescribed by the Council. The President, COA, met Secretary, Urban Development, Government of India, for considering adoption of the Architectural Competition Guidelines prescribed by the Council.

28. ENFORCEMENT OF THE ARCHITECTS ACT, 1972:

Sections 36 and 37 of the Architects Act, 1972 impose prohibition on misrepresentation as an Architect and use of title and style of Architects by any person other than a registered Architect. The violation of Act is a punishable offence. The Council has been issuing notices to the violators to stop violations of the Act.

29. SETTING UP OF COUNCIL OF ARCHITECTURE EMPLOYEES CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND TRUST DULY REGISTERED WITH CONCERNED AUTHORITIES:

The Council of Architecture Employees Contributory Provident Fund Trust has been duly registered and further action for recognition of the same by the concerned authorities is being taken.

30. PUBLICATIONS:

The Council has printed and published the Directory of Architects 2020 and Handbook of Professional Documents 2020. The Handbook has been circulated to members of the Council, architects, architectural institutions and Government Departments.

The list of books published/ being published by the Council through its TRCs are as under:

- Archiving Architectural Thesis 2017.
- Journal of Council of Architecture: Sustainable Development.
- Journal of Council of Architecture: Heritage and Conservation.
- Journal of Council of Architecture: Inclusive environments.
- Archiving Architectural Thesis 2019.
- Archiving Architectural Thesis 2020.
- Book on Student's Awards for Documentation of Architectural Heritage 2019.
- Book on Student's Awards for Documentation of Architectural Heritage 2020.

- Book on COA Annual International Essay Writing Competition 2020 for Students and Young Architects.
- Book on COA Annual International Essay Writing Competition 2020 for Teachers in Schools of Architecture.
- Archiving Architectural Thesis 2018.
- Documentation of Architectural Heritage 2018.

31. ACKNOWLEDGEMENT:

The Council would like to place on record its appreciation and gratitude to the Central Government and its Officers, all State Governments, Union Territories, all Architectural Institutions for extending their cooperation to Council in implementation of the Architects Act, 1972.

The Council expresses its gratitude to the office bearers and members of the Council of architecture, Experts, Auditors, Advocates, other professional bodies, practicing architects, academicians and all advertisers for their cooperation, guidance, advice and support for furthering the objectives of the Architects Act, 1972.

The Council also expresses its gratitude to its Officers & employees and all those who have rendered useful services to it during the year 2020-21.

Dated : 02.11.2021

R. K. OBEROI, Registrar

[ADVT.-III/4/Exty./188/2022-23]

V. K. VERMA & CO.

CHARTERED ACCOUNTANTS

C-37, CONNAUGHT PLACE, NEW DELHI-110001

TEL. : 23415811,23416858,23415778,23411014

FAX : 91-11-23417925

E-mail : vkverma@vkvermaco.com

pverma@vkvermaco.com

Website : www.vkvermaco.com

In reply please quote

INDEPENDENT AUDIT REPORT

We have audited the attached Balance Sheet of **"COUNCIL OF ARCHITECTURE",** India Habitat Centre, Core 6-A, 1st Floor, Lodhi Road, New Delhi - 110003, as at 31st March, 2021, the Income & Expenditure Account and the Receipts & Payment Account for the year ended on 31st March, 2021, incorporating the accounts of all the Council Offices. These financial statements are the responsibility of the management of the Council. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We have conducted the audit in accordance with the generally accepted Auditing & Accounting Standards, notified till date issued by The Institute of Chartered Accountants of India. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedure selected depends on the auditor's judgment, including the assessment of the risk of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or

error. In making those risk assessments, the auditor considers internal controls given to the preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the internal controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient & appropriate to provide a basis for our audit opinion subject to Note No. 1 to 18 of Annexure No. 14 - Significant Accounting Policies & Notes forming part of Accounts.

We further report that:

1. We have obtained all the information and explanation, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of the audit;
2. In our opinion, proper books of accounts as required by Architects Act, 1972 have been kept by the Council in so far as appears from our examination of such books;
3. The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with the report are in agreement with the books of account; and
4. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said statement of accounts together with the schedules attached and read with the accounting policies and notes forming part of accounts give a true and fair view:-

   a) In the case of Balance Sheet of the statement of affairs of the Council as at 31st March, 2021 and

   b) In case of Income & Expenditure Account of the excess of Income over Expenditure for the year ended 31st March, 2021.

   c) In case of Receipts & Payments Account of the receipts and payments flows for the year ended 31st March, 2021.

For **V K VERMA & CO.**

CHARTERED ACCOUNTS

FRN 0000386N

Sd/-

Partner (R.C.Hasija)

M. NO. 054809

Date: 22-10-2021

Place: New Delhi

UDIN: 21054809AAAACZ7063

COUNCIL OF ARCHITECTURE : NEW DELHI

(Established under the Architects Act, 1972 enacted by the Parliament of India)

(NON-PROFIT ORGANISATION- SETUP AS A GOVERNMENT AUTHORITY)

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2021 **(Amount – Rs.)**

	Schedule	Current Year	Previous Year
CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES			
CAPITAL CONTRIBUTION FROM GOVT.OF INDIA	1	150000.00	150000.00
EARMARKED FUNDS	2	964292721.00	733467395.00
LIABILITIES	3	296669371.00	319864113.00

SURPLUS / DEFICIT ACCOUNT	7	400818162.18	366665713.73
TOTAL		**1661930254.18**	**1420147221.73**
ASSETS			
FIXED ASSETS	4	215598899.00	216200757.00
INVESTMENTS	5	1227091035.00	966905204.00
CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES	6	219240320.18	237041260.73
TOTAL		**1661930254.18**	**1420147221.73**
ACCOUNTING POLICIES & NOTES TO ACCOUNTS	14		

For and on behalf of
COUNCIL OF ARCHITECTURE

(REGISTRAR) (PRESIDENT)

In terms of our separate report of even date
For V. K. VERMA & CO.
Chartered Accountants
FRN :000386N
(CA R.C. HASIJA)
M.N.054809

Place : New Delhi
Date : 22.10.2021

COUNCIL OF ARCHITECTURE : NEW DELHI
(Established under the Architects Act, 1972 enacted by the Parliament of India)
(NON-PROFIT ORGANISATION- SETUP AS A GOVERNMENT AUTHORITY)

INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2021 **(Amount – Rs.)**

	Schedule	Current Year	Previous Year
INCOME			
Fees	8	44866394.00	38105424.00
Other Income	9	155707081.00	155863428.79
Interest Earned	10	70120139.32	61654252.75
TOTAL (A)		**27,06,93,614.32**	**25,56,23,105.54**

EXPENDITURE			
Establishment Expenses	11	20661489.00	18967814.00
Administrative Expenses	12	9492127.87	12979503.15
Expenses related to Promotion of Education & Practice	13	5574988.00	905740.00
Depreciation	4	812561.00	1048977.00
TOTAL (B)		**36541165.87**	**33902034.15**
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		234152448.45	221721071.39
Transferred to Surplus and Deficit Account		234152448.45	221721071.39
ACCOUNTING POLICIES & NOTES TO ACCOUNTS	14		

For and on behalf of
COUNCIL OF ARCHITECTURE

In terms of our separate report of even date
For V. K. VERMA & CO.
Chartered Accountants
FRN :000386N
(CA R.C. HASIJA)
M.N.054809

(REGISTRAR) (PRESIDENT)

Place : New Delhi Date : 22.10.2021

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE PERIOD ENDED ON 31ST MARCH, 2021

Amount(Rs.)

RECEIPTS	Current Year	Previous Year	PAYMENTS	Current Year	Previous Year
I. Opening Balance			**I. Expenses**		
a) Cash in hand	14,500.00	17,408.00	a) Establishment Expenses (corresponding to Schedule 11)	20,189.00	1,89,67,814.00
b) Online PG Receipts	19,35,245.00	4,49,010.00			
c) Bank Balances			b) Administrative Expenses (corresponding to Schedule 12)	6,00,140.00	1,29,79,503.15
1) In Current/OD accounts	19,43,919.51	18,038.51	c) Expenses related to Promotion of Education & Practice	13,33,449.00	9,05,740.00
2) Savings Accounts	15,70,13,234.66	2,63,18,857.83	(corresponding to Schedule 13)		
3) Drafts at Hand	61,390.00	80,330.00			
II. Funds Received			**II. Payments made against funds for various Projects**		
a) Evaluation Fees	6,40,50,000.00	7,17,50,000.00	a) NATA Expenses	2,41,67,754.00	3,25,42,820.21
b) Charges for Review of Decision	0.00	38,50,000.00	b) Evaluation & Inspection Expenses	1,30,81,703.00	2,59,77,382.00

c)	Fine/ Penalty from Intuitions	27,55,000.00	6,80,000.00
d)	Charges for Change/Closure of Name/Site of Institution	17,00,000.00	30,00,000.00
e)	Arbitration Fee/Administrative Charges	1,38,333.00	1,68,500.00
III.	**Interest Received**		
a)	On Bank deposits	5,93,06,526.32	5,77,60,176.75
b)	Loans, Advances etc.	9,66,176.00	11,80,891.00
c)	On Savings Bank Account	98,47,437.00	27,13,185.00
IV.	**Fee Income**		
a)	Registration Fee	65,75,400.00	76,39,200.00
b)	Renewal Fee	1,05,41,400.00	72,57,100.00
c)	Restoration Fee	59,51,000.00	38,82,000.00
d)	Duplicate Certificate Fee	2,31,000.00	2,80,800.00
e)	Fine from Architects	1,19,03,920.00	1,03,95,250.00
f)	Apportionment of One Time Renewal Fees	96,62,674.00	86,50,474.00
g)	Additional Qualification Fee	1,000.00	600.00
V.	**Other Income**		
a)	Income from Publications	1,06,92,695.00	37,58,683.00
b)	RTI Fees	520.00	820.00
c)	NATA Fees	11,47,56,800.00	12,62,32,600.00
d)	NATA Data Sharing Charges	0.00	29,00,000.00
e)	Misc. Income	10,177.00	60,949.00
f)	Conduct of Quality Improvement Programme Charges	10,14,250.00	93,85,000.00
g)	Thesis Award Programme - Sponsorship	10,00,000.00	15,23,300.00
VI.	**Other Receipts**		
a)	One Time Renewal Fee	4,04,88,000.00	3,47,53,000.00
b)	FDR's Matured during the Year	0.00	31,98,00,207.00
c)	Advances Recovered from Staff	26,21,400.00	24,08,335.00

c)	Arbitration Expenses	0.00	82,333.00
e)	Directory of Architect Exps.	31,43,013.00	0.00
d)	Publication Expenses	21,46,987.00	36,85,903.00
f)	BEE Program Expenses	0.00	12,46,513.00
g)	Conduct of Quality Improvement Programme Expenses	52,55,789.00	54,96,676.00
III.	**Investments and deposits made**		
a)	Out of Earmarked/Endowment funds	0.00	55,90,48,166.00
b)	Out of Security Deposit Received from Architectural Institution	0.00	3,55,00,000.00
IV.	**Expenditure on Fixed Assets & Capital Work-in-Progress**		
a)	Purchase of Fixed Assets	2,10,703.00	20,70,84,780.00
V.	**Other Payments**		
a)	TDS deducted by the Bank/Companies	47,13,766.00	59,85,286.00
b)	Advances to Staff	19,89,000.00	10,00,000.00
c)	Other Advances	0.00	8,14,257.00
d)	Apportionment of One Time Renewal Fees	96,62,674.00	86,50,474.00
e)	NATA Fee Advance	8,84,55,800.00	10,10,71,000.00
f)	Evaluation Fees Advance	6,53,00,000.00	7,12,50,000.00
g)	Amount receivable / Payable	0.00	4,86,738.50
h)	Bank Interest Accrued for the Year	25,19,272.37	28,61,534.67
i)	Interest Accrued on Staff Advance	9,66,176.00	11,80,891.00
j)	Prepaid Expenses for NATA Examination	13,76,500.00	6,60,751.00
k)	Security deposits from Existing Architectural Institutions	5,00,000.00	0.00
l)	Security deposits from New Architectural Institutions	50,00,000.00	0.00
VII.	**Closing Balance**		
a)	Cash in hand	50,930.00	14,500.00
b)	Bank Balances		

d)	Other Advances Recovered	0.00	35,18,05,222.55	1)	In Current/OD accounts	17,11,988.51	19,43,919.51
e)	Interest adjusted agst. Interest Accrued	29,96,038.67	36,44,607.06	2)	Savings Accounts	13,57,22,465.91	15,70,13,234.66
f)	Taxes/ Amount/Postage payable	0.00	20,68,900.00	3)	Drafts at Hand	7,09,109.00	61,390.00
g)	NATA Fees Advance	5,85,65,000.00	8,84,55,800.00	3)	Online PG Receipts	9,48,377.00	19,35,245.00
h)	DOA/HB-2020 Advt. Receipt/Advance	19,07,971.00	31,32,390.00				
i)	Evaluation Fees Advance	6,28,50,000.00	6,53,00,000.00				
k)	Performance Security	0.00	12,86,526.00				
l)	Security deposits from Existing Architectural Institutions	0.00	5,00,000.00				
m)	Security deposits from New Architectural Institutions	1,25,00,000.00	3,50,00,000.00				
n)	BEE Sponsorship/Administrative Charges	0.00	3,38,691.00				
TOTAL		**65,40,01,007.16**	**1,25,84,46,851.70**	**TOTAL**		**36,95,85,785.79**	**1,25,84,46,851.70**

for and on behalf of

Place : New Delhi **COUNCIL OF ARCHITECTURE**

Date : 22.10.2021

(REGISTRAR) **(PRESIDENT)**

In terms of our separate report of even date

For V. K. VERMA & CO.

Chartered Accountants (FRN :000386N)

(CA R.C. HASIJA) M.N.054809

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.07.20 23:00:57 +05'30'